



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1824]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2012/भाद्र 26, 1934

No. 1824]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2012/BHADRA 26, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2012

सं. 83/2012-सीमा-शुल्क (नै. टै.)

का.आ. 2186(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, आयातकर्ताओं के निम्नलिखित वर्ग के लिए यह विनिर्दिष्ट करती है कि वे अपना सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक विधि से भरेंगे, नामतः :—

- आयातकर्ता जो कि एक्स्टेंडेड क्लाइन्स प्रोग्राम में पंजीकृत हैं।
- आयातकर्ता जो आगम पत्र के अनुसार एक लाख रुपये या इससे अधिक सीमा-शुल्क का भुगतान करते हैं।

[फा. सं. 450/180/2009-सी.शु. IV (पीटी)]

एस. सी. गंगर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2012

No. 83/2012-CUSTOMS (N. T.)

S.O. 2186(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (2) of Section 47 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specify following classes of importers who shall pay customs duty electronically, namely :—

- Importers registered under Accredited Clients Programme.
- Importers paying customs duty of one lakh rupees or more per bill of entry.

[F. No. 450/180/2009-Cus. IV (Pt.)]

S. C. GANGAR, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1824]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2012/भाद्र 26, 1934

No. 1824]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2012/BHADRA 26, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2012

सं. 83/2012-सीमा-शुल्क (नै. टै.)

का.आ. 2186(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, आयातकर्ताओं के निम्नलिखित वर्ग के लिए यह विनिर्दिष्ट करती है कि वे अपना सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक विधि से भरेंगे, नामतः :—

- (i) आयातकर्ता जो कि एक्स्टेंडेड क्लाइन्स प्रोग्राम में पंजीकृत हैं।
- (ii) आयातकर्ता जो आगम पत्र के अनुसार एक लाख रुपये या इससे अधिक सीमा-शुल्क का भुगतान करते हैं।

[फा. सं. 450/180/2009-सी.शु. IV (पीटी)]

एस. सी. गंगर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2012

No. 83/2012-CUSTOMS (N. T.)

S.O. 2186(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (2) of Section 47 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specify following classes of importers who shall pay customs duty electronically, namely :—

- (i) Importers registered under Accredited Clients Programme.
- (ii) Importers paying customs duty of one lakh rupees or more per bill of entry.

[F. No. 450/180/2009-Cus. IV (Pt.)]

S. C. GANGAR, Under Secy.

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2020] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2014/अश्विन 8, 1936
No. 2020] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014/ASVINA 8, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 95/2014-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2014

का.आ. 2561(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001- सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का. आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	725
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	750

3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	738
4	1511 10 00	कच्चा पामोलिन	762
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	765
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	764
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	838
8	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	3987
9	1207 91 00	पोस्त बीज	3429

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्ट संख्या 321 और 323 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	396 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012- सीमा-शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्ट संख्या 322 और 324 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	575 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	2017"

[फा. सं. 467/1/2014 - सीमा-शुल्क -V Pt. I]

सत्यजीत मोहंति, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क(गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का. आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 76/2014- सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 15 सितम्बर, 2014, जिसे का. आ. 2344(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

No. 95/2014-CUSTOMS (N. T.)

New Delhi, 30th September, 2014

S.O. 2561(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 748(E), dated the 3rd August, 2001, namely:—

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted namely:—

“TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	725
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	750
3	1511 90 90	Others – Palm Oil	738
4	1511 10 00	Crude Palmolein	762
5	1511 90 20	RBD Palmolein	765
6	1511 90 90	Others – Palmolein	764
7	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	838
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3987
9	1207 91 00	Poppy seeds	3429

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 321 and 323 of the Notification No. 12/2012-Customs dated 17.03.2012 is availed	396 per 10 grams
2	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 322 and 324 of the Notification No. 12/2012-Customs dated 17.03.2012 is availed	575 per kilogram

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$ Per Metric Tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	Areca nuts	2017”

[F. No. 467/01/2014-Cus-5 Pt.I]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 76/2014-Customs (N.T.), dated the 15th September, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O 2344 (E) Dated, the 15th September, 2014.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1819]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2010/भाद्र 9, 1932

No. 1819]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2010/BHADRA 9, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

सं. 78/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2140(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“सारणी

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डॉलर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	447 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
2.	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	476 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
3.	1511 90 90	अन्य—पॉम ऑयल	462 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
4.	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	481 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
5.	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	484 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
6.	1511 90 90	अन्य—पामोलीन	483 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
7.	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	580 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
8.	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	3924
9.	1207 91 00	पोस्त बीज	2750 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)”

[फा. सं. 467/4/2010-सीमा-शुल्क-V]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 [का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001] के तहत प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना सं. 76/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 13 अगस्त, 2010 [का.आ. 1999 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2010] के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2010

No. 78/2010-Customs (N.T.)

S.O. 2140(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Cus. (N.T.), dated the 3rd August, 2001, namely :—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :—

“TABLE

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 1000	Crude Palm Oil	447 (i.e. no change)
2.	1511 90 10	RBD Palm Oil	476 (i.e. no change)
3.	1511 90 90	Others—Palm Oil	462 (i.e. no change)
4.	1511 1000	Crude Palmolein	481 (i.e. no change)
5.	1511 90 20	RBD Palmolein	484 (i.e. no change)
6.	1511 90 90	Others—Palmolein	483 (i.e. no change)
7.	1507 1000	Crude Soyabean Oil	580 (i.e. no change)
8.	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3924
9.	1207 91 00	Poppy Seeds	2750 (i.e. no change)”

[F.No. 467/4/2010-Cus.-V]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001 [S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001] and was last amended *vide* Notification No. 76/2010-Customs (N.T.), dated the 13th August, 2010 [S.O. 1999(E), dated the 13th August, 2010].



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2015/पौष 25, 1936

No.108]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2015/PAUSA 25, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2015

सं. 10/2015-सीमा शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 168(अ) :— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का. आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	705
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	729
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	717
4	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	739
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	742
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	741

7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	894
8	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	3637
9	1207 91 00	पोस्ट बीज	3747

सारणी-2

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 की प्रविष्टि संख्या 321 और 323 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	401 प्रति 10 ग्राम
2	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17.03.2012 का प्रविष्टि संख्या 322 और 324 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	543 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	सुपारी	2183"

[फा. सं. 467 /01/2015 - सीमा शुल्क-V(पार्ट 1)]

सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक (आईसीडी)

नोट:—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का. आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 117/2014-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 31 दिसंबर, 2014, जिसे का. आ. 3325(अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2015

No. 10/2015-Customs (N.T.)

S.O. 168(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001, namely:—

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted namely:—

“TABLE-1

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	705
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	729
3	1511 90 90	Others – Palm Oil	717
4	1511 10 00	Crude Palmolein	739
5	1511 90 20	RBD Palmolein	742
6	1511 90 90	Others – Palmolein	741
7	1507 10 00	Crude Soya bean Oil	894
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3637
9	1207 91 00	Poppy seeds	3747

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 321 and 323 of the Notification No. 12/2012- Customs dated 17.03.2012 is availed	401 per 10 grams
2	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 322 and 324 of the Notification No. 12/2012- Customs dated 17.03.2012 is availed	543 per kilogram

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$ Per Metric Tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	080280	Areca nuts	2183”

[F. No. 467/01/2015-Cus.V(Pt. I)]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001–Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001; vide number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 117/2014–Customs (N.T.), dated the 31st December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3325(E) Dated, the 31st December, 2014.

(Chodans)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2015/माघ 7, 1936

No. 170]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2015/MAGHA 7, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015

सं. 13/2015-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 237(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 09/2015-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 15 जनवरी, 2015, जिसे का. आ. 167(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3 उप-खंड(ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 4 तथा 5 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची-I

क्रम सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
		(क)	(ख)
(1)	(2)	(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
4.	डेनिश क्रोनर	9.40	9.15
5.	यूरो	69.95	68.20

यह दरें 28 जनवरी, 2015 से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. 468/01/2015-सीमा-शुल्क-V]

सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक (आई. सी.डी.)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2015

No. 13/2015-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 237(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 09/2015-Customs (N.T.) dated the 15th January, 2015 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), Extraordinary *vide* number S. O. 167(E), dated, the 15th January, 2015, namely:—

In the Schedule-I of the said Notification, for Serial Nos. 4 & 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-I

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one units of foreign currency equivalent to Indian Rupees	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(3)	
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
4.	Danish Kroner	9.40	9.15
5.	EURO	69.95	68.20

These rates will be effective from 28th January, 2015.

[F. No. 468/01/2015-Cus.-V]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)

CC14

Customs

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2015/माघ 10, 1936

No. 214]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2015/MAGHA 10, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

सं. 15/2015-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 292(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“सारणी-1

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	681
2.	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	707
3.	1511 90 90	अन्य—पॉम ऑयल	694
4.	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	724
5.	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	727
6.	1511 90 90	अन्य—पामोलीन	726
7.	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	864
8.	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	3537
9.	1207 91 00	पोस्त बीज	3747

सारणी-2

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17-3-2012 की प्रविष्टि संख्या 321 और 323 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	412 प्रति 10 ग्राम
2.	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17-3-2012 की प्रविष्टि संख्या 322 और 324 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	568 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	080280	सुपारी	2183 "

[फा. सं. 467/01/2014-सीमा-शुल्क-V भाग-I]

सत्यजीत मोहंति निदेशक (आईसीडी)

नोट :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 10/2015-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 15 जनवरी, 2015, जिसे का.आ. 168(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2015

No. 15/2015-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 292(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001, namely :—

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely :—

"TABLE-1

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	Crude Palm Oil	681
2.	1511 90 10	RBD Palm Oil	707
3.	1511 90 90	Others—Palm Oil	994
4.	1511 10 00	Crude Palmolein	724
5.	1511 90 20	RBD Palmolein	727

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	1511 90 90	Others—Palmolein	726
7.	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	864
8.	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3537
9.	1207 91 00	Poppy Seeds	3747

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 321 and 323 of the Notification No. 12/2012-Customs, dated 17-3-2012 is availed	412 per 10 grams
2.	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 322 and 324 of the Notification No. 12/2012-Customs, dated 17-3-2012 is availed	568 per kilogram

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$ Per Metric Tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	080280	Areca nuts	2183"

[F. No. 467/01/2014-Cus.-V Pt.I]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, *vide* number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended *vide* Notification No. 10/2015-Customs (N.T.), dated the 15th January, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 168(E), dated the 15th January, 2015.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2015/माघ 10, 1936

No. 215]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2015/MAGHA 10, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2015

सं. 16/2015-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 293(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 09/2015-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 15 जनवरी, 2015, जिसे का. आ. 167(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3 उप-खंड(ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 3 तथा 15 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची-I

क्रम सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
		(क) (आयातित माल के लिए) (ख) (निर्यात माल के लिए)
4.	कनेडियन	49.60 48.40
5.	स्विस फ्रैंक	68.00 66.35

यह दरें 31 जनवरी, 2015 से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. 468/01/2015-सीमा-शुल्क-V]

सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक (आईसीडी)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2015

No. 16/2015-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 293(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 09/2015-Customs (N.T.) dated the 15th January, 2015 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), Extraordinary *vide* number S. O. 167(E), dated, the 15th January, 2015, namely:—

In the Schedule-I of the said Notification, for Serial Nos. 3 & 15 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE-I

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian Rupees	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(For Imported Goods)	(For Export Goods)
4.	Canadian Dollar	49.60	48.40
5.	Swiss Franc	68.00	66.35

These rates will be effective from 31st January, 2015.

[F. No. 468/01/2015-Cus.-V]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)

८१४

Customs Act

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 29, 2010/वैशाख 9, 1932

No. 218]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 2010/VAISAKHA 9, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2010

सं. 33/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 354(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के अंतर्गत और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है यथा :—

1. (1) इन नियमों को सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा प्रतिअदायगी (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में,—

(i) नियम 3, उप-नियम (1) में दूसरे परन्तुक के उपवाक्य (v) में शब्दों और संख्याओं "शीर्षक

1006 या 2523 में आने वाले" को शब्द और संख्याओं "शीर्षक 1006, 2523, 5205, 5206 या 5207 में आने वाले" से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) नियम 6 में उप-नियम (4) में शब्दों और संख्याओं "शीर्षक 1006 या 2523 में आने वाले" को शब्द और संख्याओं "शीर्षक 1006, 2523, 5205, 5206 या 5207 में आने वाले" से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) नियम 7 में उप-नियम (5) में शब्दों और संख्याओं "शीर्षक 1006 या 2523 में आने वाले" को शब्द और संख्याओं "शीर्षक 1006, 2523, 5205, 5206 या 5207 में आने वाले" से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 609/52/2010-डीबीर्क]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

टिप्पणी :—प्रधान नियम अधिसूचना सं. 37/95-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 मई, 1995, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित किये थे और इनमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 129/2008-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवम्बर, 2008, सा.का.नि. 817(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 2008 के तहत संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2010

No. 33/2010-Customs (N.T.)

G.S.R. 354(E).— In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (I of 1944) and Section 93A read with section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Amendment) Rules, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995,—
 - (i) in rule 3, in sub-rule (1), in the second proviso, in clause (v), for the words and figures “falling within heading 1006 or 2523”, the words and figures “falling within heading 1006, 2523, 5205, 5206 or 5207” shall be substituted;
 - (ii) in rule 6, in sub-rule (4), for the words and figures “falling within heading 1006 or 2523”, the words and figures “falling within heading 1006, 2523, 5205, 5206 or 5207” shall be substituted;
 - (iii) in rule 7, in sub-rule (5), for the words and figures “falling within heading 1006 or 2523”, the words and figures “falling within heading 1006, 2523, 5205, 5206 or 5207” shall be substituted.

[F. No. 609/52/2010-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

Note :— The principal rules were published *vide* Notification No. 37/95-Customs (N.T.), dated the 26th May, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 441(E), dated the 26th May, 1995, and was last amended by Notification No. 129/2008-Customs (N.T.), dated the 21st November, 2008 *vide* number G.S.R. 817(E), dated the 21st November, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2010

सं. 34/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 355(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 की उप-धारा (2), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 की उप-धारा (2) तथा वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93क और 94 की उप-धारा (2) के साथ पठित सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 627(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में निम्नलिखित संशोधन और करती है, नामशः :—

कथित अधिसूचना की अनुसूची में,—

(क) अध्याय 52 में,—

- (i) दर सूची मद 520501 और 520502 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित दर सूची मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

520501	घूसर	कि.ग्रा.	शून्य	शून्य
520502	रंगे हुए	कि.ग्रा.	शून्य	शून्य

- (ii) दर सूची मद 520601 और 520602 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित दर सूची मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

520601	घूसर	कि.ग्रा.	शून्य	शून्य
520602	रंगे हुए	कि.ग्रा.	शून्य	शून्य

- (iii) दर सूची मद 520701 और 520702 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित दर सूची मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामशः :—

520701	घूसर	कि.ग्रा.	शून्य	शून्य
520702	रंगे हुए	कि.ग्रा.	शून्य	शून्य

[फा. सं. 609/52/2010-डीबीके]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 627(अ), दिनांक 29 अगस्त, 2008 के तहत प्रकाशित की गयी थी तथा अंतिम संशोधन सा.का.नि. 850(अ), दिनांक 27 नवम्बर, 2009 के तहत किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2010

No. 34/2010-Customs (N.T.)

G.S.R. 355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), sub-section (2) of section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Section 93A and sub-section (2) of Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with rules 3 and 4 of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number G.S.R. 627(E), dated the 29th August, 2008, namely :—

In the Schedule to the said notification,—

(a) In Chapter 52,—

- (i) for tariff items 520501 and 520502 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

520501	Grey	KG	Nil	Nil
520502	Dyed	KG	Nil	Nil

- (ii) for tariff items 520601 and 520602 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

520601	Grey	KG	Nil	Nil
520602	Dyed	KG	Nil	Nil

- (iii) for tariff items 520701 and 520702 and the entries relating thereto, the following tariff items and the entries shall be substituted, namely :—

520701	Grey	KG	Nil	Nil
520702	Dyed	KG	Nil	Nil

[F. No. 609/52/2010-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 627(E), dated the 29th August, 2008 and was last amended by Notification *vide* number G.S.R. 850(E), dated the 27th November, 2009.

CE 14

Customs Act

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 2010/वैशाख 24, 1932

No. 253]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14, 2010/VAISAKHA 24, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2010

सं. 64/2010-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 405(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96/2008 सीमा-शुल्क तारीख 13 अगस्त, 2008, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. 590(अ), तारीख 13 अगस्त, 2008 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा :—

क्रम सं.	देश का नाम
"21	मालदीव
22	बंगलादेश
23	बुरुण्डी गणराज्य"

[फा. सं. 354/189/2005-टीआरयू (भाग II)]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 590(अ), तारीख 13 अगस्त, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 63/2010-सीमा-शुल्क, तारीख 13 मई, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण,

1834 GI/2010

सा.का.नि. 402(अ), तारीख 13 मई, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2010

No. 64/2010-Customs

G.S.R. 405(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 96/2008-Customs, dated the 13th August, 2008 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 590 (E), dated the 13th August, 2008, namely :—

In the said notification, in the Schedule, after serial number 20 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

Sl. No.	Name of the Country
"21	Maldives
22	Bangladesh
23	Republic of Burundi"

[F.No. 354/189/2005-TRU (Vol. II)]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 590 (E), dated the 13th August, 2008 and was last amended by notification No. 63/2010-Customs, dated the 13th May, 2010 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 402(E) dated the 13th May, 2010.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934

No. 282]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 457(अ).—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 31/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी), तारीख 4 जून, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 416 (अ), तारीख 4 जून, 2012 में,—

(i) "उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई व्यक्ति समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।" के स्थान पर

● "उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्ति, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ कीमत और अवतरण मूल्य अंतर के बराबर की राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।"

पढ़ा जाये।

(ii) सारणी के स्तंभ (2) में "76069191" के स्थान पर "76069190" पढ़ा जाए।

[फा. सं. 354/45/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th June, 2012

G.S.R. 457(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 31/2012-Customs (ADD), dated the 4th June, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 416(E), dated the 4th June, 2012,—

(i) for

"an anti-dumping duty at the rate equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (9), in the

currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (11), of the said Table."

read

"an anti-dumping duty which shall be equivalent to the difference between the amount specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (11), of the said Table, and the landed value of such imported goods in like currency per like unit of measurement."

(ii) for "76069191" in column (2) of the Table, read "76069190".

[F. No. 354/45/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सा.का.नि. 458(अ).—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24/2012-सीमा-शुल्क (एडीडी), तारीख 14 मई, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 359 (अ), तारीख 14 मई, 2012 में,—

"मैसर्स हैनिंग ताइनफू राप निटिंग कं. लि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) और मै. मन्ना, कोरिया आरपी (निर्यातक)",

के स्थान पर

"मैसर्स हैनिंग ताइनफू वार्प निटिंग कं. लि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) और मै. मन्ना, कोरिया आरपी (निर्यातक)".

पढ़ा जाये।

[फा. सं. 354/108/2010-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th June, 2012

G.S.R. 458(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 24/2012-Customs (ADD), dated the 14th May, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 359(E), dated the 14th May, 2012,—

for

"M/s Haining Tianfu Wrap Knitting Co. Ltd, People's Republic of China (Producer) and M/s Manna, Korea RP (Exporter)",

read

"M/s Haining Tianfu Warp Knitting Co. Ltd, People's Republic of China (Producer) and M/s Manna, Korea RP (Exporter)".

[F. No. 354/108/2010-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

सं. 1/2012

सा.का.नि. 459(अ).—जबकि वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् वित्त अधिनियम भी कहा गया है) के अध्याय V की धारा 66 ख और वित्त अधिनियम 2012 (2012 का 23) की धारा 143 के प्रावधानों से जो कठिनाइयाँ पैदा हुई हैं;

और, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (1-I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. (क) इन सेवाकर का संक्षिप्त नाम (कठिनाई को हटाने) आदेश, 2012 है।

(ख) ये आदेश तारीख 1 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त होंगे।

2. वित्त अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) और (2) में अंक "66" के स्थान पर अंक और शब्द "66ख" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा. सं. 334/1/2012-टीआरयू]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th June, 2012

No. 1/2012

G.S.R. 459(E).—Whereas difficulties have arisen in giving effect to the provisions of Section 143 of the Finance Act, 2012 (23 of 2012), in so far as it relates to insertion of Section 66B in Chapter V of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the Finance Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1-I) of Section 95 of the Finance Act, the Central Government, hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Service Tax (Removal of Difficulty) Order, 2012.

(2) This Order shall come into force on the 1st day of July, 2012.

2. In sub-sections (1) and (2) of Section 68 of the Finance Act, for the figures “66”, the figures and letter “66B” shall be substituted.

[F.No. 334/1/2012-TRU]

RAJKUMAR DIGVIJAY, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2010/ज्येष्ठ 18, 1932

No. 319]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2010/JAYSHTHA 18, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2010

सं. 67/2010-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 484(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96/2008-सीमा-शुल्क, तारीख 13 अगस्त, 2008, जो सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2008 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) प्रारंभिक पैराग्राफ में, खंड (i) में, अक्षर और शब्द "80 प्रतिशत" के स्थान पर अक्षर और शब्द "60 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) परिशिष्ट I में, सारणी में, स्तम्भ (4) में,—

(i) प्रविष्टि "2%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "4%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) प्रविष्टि "3%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "6%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iii) प्रविष्टि "4%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "8%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iv) प्रविष्टि "5%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "10%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(v) प्रविष्टि "6%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "12%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(vi) प्रविष्टि "9%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "18%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(vii) प्रविष्टि "10%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "20%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(viii) प्रविष्टि "12%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "24%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ix) प्रविष्टि "15%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "30%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(x) प्रविष्टि "18%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "36%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(xi) प्रविष्टि "20%", जहां कहीं भी है, के स्थान पर प्रविष्टि "40%" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ग) अनुसूची में, क्रम सं. 23 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	देश का नाम
"24	पूर्वी तिमोर का गणराज्य
25	जाम्बिया का गणराज्य

[फा. सं. 354/189/2005-टीआरयू (भाग II)]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 13 सितम्बर, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 64/2010 सीमा-शुल्क, तारीख 14 मई 2010, सं. सा.का.नि. 405(अ), तारीख 14 मई, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा किया गया था।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 17, 2010/ज्येष्ठ 27, 1932

No. 347]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 17, 2010/JYAISTHA 27, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2010

सं. 48/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 519(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आयातित माल के पुनर्निर्यात (सीमा-शुल्क की प्रतिअदायगी) नियमावली, 1995 को पुनः संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. लघु शीर्ष और आरंभ—

- (1) ये नियम आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमा-शुल्क की प्रतिअदायगी) संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएगी।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. आयातित माल का पुनर्निर्यात (सीमा-शुल्क की प्रतिअदायगी) नियमावली, 1995 में नियम 5 में उप-नियम (1) में परन्तुक की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः :—

“शर्त यह है कि :

- (i) तीन महीने की उपर्युक्त अवधि सीमा-शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त जैसा मामला हो, द्वारा पुनः

तीन महीने की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है और यह कि इसे पुनः सीमा-शुल्क के आयुक्त अथवा सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जैसा मामला हो, द्वारा पुनः छः महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है,

- (ii) सीमा-शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त अथवा सीमा-शुल्क आयुक्त अथवा सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जैसा मामला हो, आवेदन किए जाने पर तथा उपयुक्त समझी जाने वाली जांच के बाद समय बढ़ाने या इसे अस्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकार करने के कारणों को लिखित में दर्ज कर सकते हैं;
- (iii) सीमा-शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क के उपायुक्त यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1,000 रुपए जो भी कम हो, देय होगा तथा सीमा-शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में एफ ओ बी मूल्य का 2 प्रतिशत या 2,000 रुपए, जो भी कम हो, देय होगा।”

[फा. सं. 609/51/2010-डीबीके]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 440(अ), दिनांक 26 मई, 1995 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं. 36/95-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 26 मई, 1995

के द्वारा प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 5/2003-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 जनवरी, 2003, द्वारा सा.का.नि. 45(अ), दिनांक 21 जनवरी, 2003 के जरिए किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2010

No. 48/2010-Customs (N.T.)

G.S.R. 519(E).— In exercise of the powers conferred by Section 74 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Rules, 1995, namely:—

1. (1) These rules may be called the Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Re-export of Imported Goods (Drawback of Customs Duties) Rules, 1995, in rule 5, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that—

- (i) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and that the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;
- (ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;
- (iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1,000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or Rs. 2,000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of

extension by the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be.”

[F. No. 609/51/2010-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

Note:—The principal rules were published *vide* Notification No. 36/95-Customs (N.T.), dated the 26th May, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 440(E), dated the 26th May, 1995, and were last amended by Notification number 5/2003-Customs (NT.), dated the 21st January, 2003 *vide* number G.S.R. 45(E), dated the 21st January, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2010

सं. 49/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 520(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के अंतर्गत और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के साथ पठित धारा 93क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:—

1. (1) इन नियमों को सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में,—

(i) नियम 6, उप-नियम (1) में खंड (क) में,—

(क) शब्दों “साठ दिनों” को शब्दों “तीन महीने” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामशः—

“शर्त यह है कि—

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त, यथा मामला, उपर्युक्त तीन माह की अवधि को तीन माह की अवधि से बढ़ा सकता

है और यह कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, इस अवधि को छः महीने और बढ़ा सकता है;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, किसी आवेदन पत्र पर और ऐसी पूछताछ के बाद जो वह उचित समझे, समय बढ़ा सकता है या अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में दर्ज करके समय बढ़ाने से इंकार कर सकता है।

(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त, यथा मामला, से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1,000 रुपए जो भी कम हो, देय होगा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में एफओबी मूल्य का 2 प्रतिशत अथवा 2,000 रुपए, जो भी कम हो, देय होगा";

(ii) नियम 7 में, उप-नियम (1) में,—

(क) शब्दों "साठ दिनों" को शब्दों "तीन महीने" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामशः :—

"शर्त यह है कि—

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त यथा मामला, उपर्युक्त तीन माह की अवधि को तीन माह की अवधि से बढ़ा सकता है और यह कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, अवधि को छः महीने और बढ़ा सकता है;

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, किसी आवेदन पत्र पर और ऐसी पूछताछ के बाद जो वह उचित समझे, समय बढ़ा सकता है या अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में दर्ज करके समय बढ़ाने से इंकार कर सकता है;

(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का उपायुक्त यथा मामला, से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1000 रुपए जो भी कम हो, देय होगा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में एफओबी मूल्य का 2 प्रतिशत अथवा 2000 रुपए, जो भी कम हो, देय होगा";

(iii) नियम 15 में, उप-नियम (1) में दूसरे परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामशः

"आगे शर्त यह है कि—

(i) सीमा-शुल्क का सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क उपायुक्त, यथा मामला, उपर्युक्त तीन महीने की अवधि को नौ महीने तक बढ़ा सकता है और यह कि सीमा-शुल्क का आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, अवधि को छः महीने और बढ़ा सकता है;

(ii) सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क उपायुक्त या सीमा-शुल्क आयुक्त, या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, आवेदन करने पर और ऐसी पूछताछ के बाद जो वह आवश्यक समझे, समय बढ़ा सकता है या अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप से दर्ज करने के बाद अस्वीकार कर सकता है;

(iii) सीमा-शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा-शुल्क के उपायुक्त यथा मामला, से समय बढ़ाने का

आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1,000 रुपए जो भी कम हो, देय होगा तथा सीमा-शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला से समय बढ़ाने का आवेदन करने के आवेदन शुल्क के रूप में एफओबी मूल्य का 2 प्रतिशत अथवा 2,000 रुपए, जो भी कम हो, देय होगा”;

(iv) नियम 16ए में, उप-नियम (4) में,—

- (क) शब्दों “प्रतिअदायगी की धनराशि की ऐसी वसूली की तारीख से एक वर्ष के भीतर” को शब्दों “बिक्री प्राप्तियों की वसूली की तारीख से तीन माह की अवधि में” प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) शब्दों “दावाकर्ता को” के बाद “बशर्ते बिक्री प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अवधि में प्राप्त की जा चुकी हैं” शब्द जोड़े जाएंगे;
- (ग) निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, नामशः

“शर्त यह है कि—

- (i) सीमा-शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला उपर्युक्त तीन महीने की अवधि को नौ महीने तक बढ़ा सकता है बशर्ते बिक्री प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत समय में प्राप्त की जा चुकी हैं;
- (ii) सीमा-शुल्क आयुक्त या सीमा-शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, यथा मामला, को समय बढ़ाने का आवेदन करने के लिए निर्यात के एफओबी मूल्य का 1 प्रतिशत या 1,000 रुपए, जो भी कम हो, आवेदन शुल्क देय होगा।”

[फा. सं. 609/51/2010-डीबीके]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

टिप्पणी :— प्रधान नियम अधिसूचना सं. 37/95-सीमा-शुल्क(गै.टै.), दिनांक 26 मई, 1995, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 441(अ), दिनांक 26 मई, 1995 के तहत प्रकाशित किये गये थे और इनमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 33/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 29 अप्रैल, 2010, सं. सा.का.नि. 354(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2010 के तहत संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2010

No. 49/2010-Customs (N.T.)

G.S.R. 520(E).—In exercise of the powers conferred by Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), Section

37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Section 93A read with Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995,—

(i) in rule 6, in sub-rule (1), in clause (a),—

- (a) for the words “sixty days”, the words “three months” shall be substituted;
- (b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that—

- (i) the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and that the Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;
- (ii) the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise or Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;
- (iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and

Central Excise, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or Rs. 2,000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be.”;

(ii) in rule 7, in sub-rule (1),—

- (a) for the words “sixty days”, the words “three months” shall be substituted;
- (b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that—

- (i) the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and that the Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;
- (ii) the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise or Commissioner of Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;
- (iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1,000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs and Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or Rs. 2000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Commissioner of

Central Excise or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be.”;

(iii) In rule 15, in sub-rule (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided further that—

- (i) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of nine months and that the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;
 - (ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;
 - (iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or Rs. 2000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be.”;
- (iv) In rule 16A, in sub-rule (4),—
- (a) for the words “within one year from the date of such recovery of the amount of drawback”, the words “within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds” shall be substituted;
 - (b) after the words “to the claimant”, the words “provided the sale proceeds have been realised within the period permitted by the Reserve Bank of India” shall be inserted;
 - (c) the following proviso shall be inserted, namely :—

2366 40/10-2

“Provided that—

- (i) the Commissioner of Customs or Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of nine months provided the sale proceeds have been realised within the period permitted by the Reserve Bank of India;
- (ii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or Rs. 1000 whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Commissioner of Customs or

Commissioner of Customs and Central Excise, as the case may be.”

[F. No. 609/51/2010-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

Note :—The principal rules were published *vide* notification No. 37/95-Customs (N.T.), dated the 26th May, 1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 441(E), dated the 26th May, 1995, and was last amended by notification number 33/2010-Customs (N.T.), dated the 29th April, 2010 *vide* number G.S.R. 354 (E), dated the 29th April, 2010.

CC 14

Customs Act

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 2010/आषाढ़ 2, 1932

No. 358]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 2010/ASADHA 2, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2010

सं. 69/2010-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 552(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में अनिवार्य है, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 118(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के जरिए प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा-शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

कथित अधिसूचना में,—

(1) सारणी में,—

(i) क्र. सं. 200 के समक्ष, कालम (3) की प्रविष्टि को प्रविष्टि "लोह या इस्पात का गलन स्क्रेप (स्टेनलेस इस्पात से भिन्न)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. बी-354/94/2010-टीआरयू]

प्रशांत कुमार, अवर सचिव

टिप्पण :—प्रधान अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा-शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 को सा.का.नि. 118(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 54/2010-सीमा-शुल्क, दिनांक 29 अप्रैल, 2010, जिसका प्रकाशन सं. सा.का.नि. 362(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2010 के तहत हुआ था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 2010

No. 69/2010-Customs

G.S.R 552(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide No. G.S.R.118(E) of the same date, namely :—

In the said notification,—

(1) in the Table,—

(i) against Sl. No. 200, for the entry in column (3), the entry "Melting scrap of iron or steel (other than stainless steel)" shall be substituted.

[F. No. 354/94/2010-TRU]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

Note:—The principal Notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended vide Notification No. 54/2010-Customs, dated the 29th April, 2010 published vide number G.S.R. 362(E), dated the 29th April, 2010.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 16, 2010/आषाढ़ 25, 1932

No. 394]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 16, 2010/ASADHA 25, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2010

New Delhi, the 16th July, 2010

सा.का.नि. 601(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 294कक की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह राय होने पर कि नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के माल के संबंध में मांग ऐसे माल के उत्पादन या पूर्ति से सारवान रूप से अधिक है और यह कि ऐसे माल के लिए बाजार तैयार करने के लिए एक मात्र विक्रय अधिकर्ता की सेवाएं आवश्यक नहीं होंगी, यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में ऐसे माल के विक्रय के लिए किसी कम्पनी द्वारा एक मात्र विक्रय अधिकर्ता की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

G.S.R. 601(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 294AA of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, being of the opinion that the demand for the category of goods specified in the Table below is substantially in excess of the production or supply of such goods and that the services of the sole selling agents will not be necessary to create a market for such goods, hereby declares that sole selling agents shall not be appointed by any company for the sale of such goods in India for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

सारणी

TABLE

औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 में यथा परिभाषित "प्रपुंज औषधि", "औषधि" और "विनिर्मितियों" को प्रत्येक प्रवर्ग, जो निम्नलिखित नहीं हैं,—

Every category of "Bulk drugs", "drugs" and "formulations" as defined in the Drugs (Prices Control) Order, 1995, not being,—

- आयुर्वेदिक (जिसके अंतर्गत सिद्धा भी है) या यूनानी (तिब्ब) चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित कोई वास्तविक निर्मिति; या
- होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित कोई निर्मिति।

- any bona fide preparation included in the Ayurvedic (including Siddha) or Unani (Tibb) systems of medicine; or
- any preparation included in the Homoeopathic system of medicine.

[फा. सं. 5/2/2007-सी.एल.-V]

[F. No. 5/2/2007-CL.-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2010/भाद्र 5, 1932

No. 478]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2010/BHADRA 5, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2010

सं. 84/2010-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 707(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2010-सीमा-शुल्क, दिनांक 19 फरवरी, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 94(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2010 के तहत प्रकाशित हुई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामशः :—

उक्त अधिसूचना में सारणी में,—

(क) क्रम संख्या 1 में,—

(i) कालम (2) में मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) एरोस्टेट—सभी मानक उपकरण एवं फ्रेमों के साथ तथा अनिवार्य एवं मानक उपकरणों के साथ स्कर्टिंग्स सहित औजार; मानक एवं अनिवार्य उपकरणों सहित काटने और बिछाने वाली मशीनों के साथ जियो टेक्सटाइल्स ग्राऊंड क्लॉथ/कार्पेट”

(ii) कालम (3) में,—

(क) शर्त (क) में “राष्ट्रमंडल खेल, 2010” शब्दों और आंकड़ों के बाद “राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजक समिति के आपूर्तिकर्ताओं अथवा

ठेकेदारों अथवा बेंडरों अथवा उप-बेंडरों”, अथवा शब्द और आंकड़े जोड़े जाएंगे;

(ख) शर्त (ग) में अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“बशर्ते कि खेल की आयोजक समिति के आपूर्तिकर्ताओं अथवा ठेकेदारों अथवा बेंडरों अथवा उप बेंडरों द्वारा आयात के मामले में खेल की आयोजक समिति माल की निकासी के समय यह शपथ-पत्र देगी कि ऐसे सभी माल की खपत की जाएगी अथवा उनका पुनः निर्यात किया जाएगा अथवा खेल समाप्त होने के तीन महीने के अंदर इन्हें भारत के खेल प्राधिकरण अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को सुपुर्द कर दिया जाएगा और ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट को छोड़कर आयातित माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करेगी।”

(ख) क्रम संख्या 2 में,—

(i) कॉलम (2) में ‘आच्छादन के अंतर्गत’ शब्दों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“और निम्नलिखित माल एवं उपकरण,—

(क) मानक और आवश्यक उपकरणों सहित नियंत्रण पैनलों के साथ स्टेज लाईटिंग एवं सर्व लाईट्स, मानीटर, केबल्स, पेटियां, धिरनियां;

(ख) संचार प्रणाली—सभी मानक एवं अनिवार्य उपकरणों के साथ रेडियोयंत्रों/ बैटरियों/ केबलों/ मानीटरों/स्पीकरों से युक्त तार वाली इंटरकॉम प्रणाली;

- (ग) मानक एवं अनिवार्य उपकरणों सहित प्रोजेक्टर, कैमरा, मानीटर, वाच आउट्स/केबल्स;
- (घ) स्टेजिंग के लिए एरियल रिगिंग-सिनिक फ्लाईंग उपकरण (हॉक उपकरण), मानक एवं अनिवार्य उपकरणों सहित ट्री केनोपी रिगिंग्स मानक एवं अनिवार्य उपकरणों सहित;
- (ङ) पायरोटेक्नीक्स-मानक एवं अनिवार्य उपकरणों सहित मानीटर के साथ फायरवर्क ट्रिगरिंग कनसोलस, केबल्स;
- (च) हिलियम गैस (मै. इनोक्स के माध्यम से);
- (छ) ध्वनि उपकरण-सभी मानक एवं अनिवार्य उपकरणों के साथ स्पीकर्स सिस्टम्स, ऑडियो कंट्रोल, मानीटरों, रिलेशन सिस्टम्स एवं रिप्ले सिस्टम्स से युक्त;
- (ज) रिप्लेक्स मेश-प्लास्टिक नेटिंग स्टेटिस्टिक कोड-39269097;
- (झ) स्प्रेडिंग ट्रेलर 2006;
- (ञ) कोरो टॉपमेकर 2006;
- (ट) जॉन डीरे 5525 ट्रेक्टर 2007;
- (ठ) घास लगाने एवं काटने की मशीन तथा उपकरण;
- (ड) ग्राफंड प्रोटेक्शन-मानक एवं अनिवार्य उपकरणों के साथ फिक्सिंग उपकरणों एवं केबलों सहित बिना छिद्रवाले तथा छिद्र वाले आर्मेड डेक;
- (ढ) सर्जनात्मक सामग्रियां-ग्लासगो 2014 हेतु हैंडऑवर समारोह के लिए मानक एवं अनिवार्य उपकरणों के साथ क्लॉथ, इनफ्लेटेबल्स, आवश्यक उपकरण ।"
- (ii) कॉलम (3) में शर्त (क) में "खेल, 2010 अथवा" शब्दों और आंकड़ों के बाद "राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजक समिति के आपूर्तिकर्ताओं अथवा ठेकेदारों अथवा वेंडरों अथवा उप वेंडरों अथवा" शब्द और आंकड़े जोड़े जाएंगे;
- (ग) क्रम सं. 3 में कॉलम (3) में, शर्त (क) में "द्वारा आयातित" शब्दों के बाद "राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजक समिति अथवा" शब्द और आंकड़े जोड़े जाएंगे;
- (घ) क्रम सं. 4 कॉलम सं. (3) में,—
- (क) शर्त (क) में, "और प्रसार भारती" शब्दों के बाद "प्रसार भारती के आपूर्तिकर्ताओं अथवा ठेकेदारों अथवा वेंडरों अथवा उप-वेंडरों अथवा प्रसारण अधिकार धारियों" शब्द जोड़े जाएंगे;
- (ख) शर्त (ग) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
- "बशर्ते कि प्रसार भारती के आपूर्तिकर्ताओं अथवा ठेकेदारों अथवा वेंडरों अथवा उप-वेंडरों

द्वारा आयात के मामले में माल की निकासी के समय प्रसार भारती यह शपथ-पत्र देगी कि उपभोज्य पदार्थों को छोड़कर आयातित मर्चों का पुनः निर्यात खेल की समाप्ति के तीन महीनों के अंदर कर दिया जाएगा और ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट को छोड़कर आयातित माल पर उदग्रहणीय शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करेगी ।"

- (ङ) क्रम संख्या 5 में, कॉलम 3 में, शर्त (क) में "द्वारा आयातित" शब्दों के बाद "राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की आयोजक समिति अथवा" शब्द और आंकड़े जोड़े जाएंगे ।

[फा. सं. 354/12/2010-टी आर यू]

के. एस. वी. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल अधिसूचना सं. 13/2010-सीमा-शुल्क, दिनांक 19 फरवरी, 2010 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 94(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2010 के जरिए प्रकाशित हुई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th. August, 2010

No. 84/2010-Customs

G.S.R. 707(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2010-Customs, dated 19th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 94(E), dated the 19th February, 2010, namely :—

In the said notification, in the Table,—

(A) against Sl. No. 1,—

- (i) In column (2), after item (b), the following shall be inserted, namely :—

"(c) Aerostate—with all standard equipment and frames and—tools, including skirtings with essential and standard accessories; Geo Textiles Ground Cloth or Carpet with cutting and laying Machines with standard and essential accessories."

(ii) in column (3),—

- (a) in condition (a), after the words and figures "Common Wealth Games, 2010," the words and figures "suppliers or contractors or vendors or sub-vendors of the Organising

Committee of the Common Wealth Games, 2010 or" shall be inserted;

- (b) in condition (c), the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided that in the case of imports by suppliers or contractors or vendors or sub-vendors of the Organising Committee of the Games, the Organising Committee of Games shall, at the time of clearance of the goods, furnish an undertaking that all such goods shall be consumed or re-exported or shall be handed over to the Sports Authority of India or Delhi Development Authority or Government of National Capital Territory of Delhi within three months from the conclusion of the Games and shall pay an amount equal to the duty leviable on the imported goods but for the exemption under this notification in the event of its failure to do so."

- (B) against Sl. No. 2,—

- (i) in column (2), after the words 'under Overlays' the following shall be inserted, namely :—

"and the following goods and equipment,—

- (a) Stage lighting and searchlights with control panels, monitors, cables, trusses, pulleys with standard and essential accessories;
- (b) Communication system-wired intercom system complete with radio instruments or batteries or cables or monitors or speakers with all standard and essential accessories;
- (c) Projectors, cameras, monitors, watchouts, cables with standard and essential accessories;
- (d) Aerial rigging for staging—Scenic flying Equipment (Hawk equipment), equipment for tree canopy riggings with standard and essential accessories;
- (e) Pyrotechnics—fireworks with monitors, triggering consoles, cables with essential and standard accessories;
- (f) Helium gas (Through M/s. INOX);
- (g) Sound Equipment—complete with speakers systems, audio controls, monitors, relay systems and replay systems with all standards and essential accessories;
- (h) Reflex mesh—plastic netting statistic code : 39269097;
- (i) Spreading trailer 2006;
- (j) Koro topmaker 2006;

- (k) John deere 5525 tractor 2007;

- (l) Turf laying and harvesting machinery and accessories;

- (m) Ground protection—armour deck with and without holes with fixing equipments and cables with standard and essential accessories;

- (n) Creative materials—cloth, inflatables, essential equipments, instruments with all standard and essential accessories for Handover Ceremony for Glasgow 2014."

- (ii) in column (3), in condition (a) after the words and figures "the Games, 2010 or" the words and figures "suppliers or contractors or vendors or sub-vendors of the Organising Committee of the Common Wealth Games, 2010 or" shall be inserted;

- (C) against Sl. No. 3 in column (3), in condition (a), after the words "Imported by", the words and figures "Organising Committee of the Common Wealth Games, 2010 or" shall be inserted;

- (D) against Sl. No. 4 in column (3),—

- (a) in condition (a), after the words "and Prasar Bharati" the words "suppliers or contractors or vendors or sub-vendors of the Prasar Bharati or of the broad casting right holders" shall be inserted;

- (b) in condition (c), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that in the case of imports by suppliers or contractors or vendors or sub-vendors of the Prasar Bharati or of the broad casting right holders, the Prasar Bharati shall, at the time of clearance of the goods, furnish an undertaking that the imported items other than consumables, shall be re-exported within three months from the conclusion of the Games and shall pay an amount equal to the duty leviable on the imported goods but for the exemption under this notification in the event of its failure to do so."

- (E) against Sl. No. 5, in column (3), in condition (a), after the words "Imported by", the words and figures "Organising Committee of the Common Wealth Games, 2010 or" shall be inserted.

[F. No. 354/12/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

Note : The principal notification No. 13/2010-Customs, dated 19th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 94(E), dated the 19th February, 2010.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 1, 2010/भाद्र 10, 1932

No. 489]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 1, 2010/BHADRA 10, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

सं. 90/2010-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 723(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में अनिवार्य है, एतद्वारा निदेश देती है कि नीचे की सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचना उक्त सारणी के कॉलम (3) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधित अथवा पुनः संशोधित, जैसा मामला हो, की जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	91/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सं. सा.का.नि. 657(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में पैरा 2 में “इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट उपलब्ध नहीं होगी” शब्दों से शुरू होने वाले और “विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्बाध आयातित होने योग्य” शब्दों के अंत होने वाले अंश की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट वाहनों के आयात के लिए उपलब्ध नहीं होगी चाहे ऐसे वाहन विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्बाध आयात योग्य हों। तथापि ऐसे वाहन अनुमत्य होंगे जो सेवा प्रदाता द्वारा अपने नियमित व्यवसाय में उपयोग के लिए व्यावसायिक उपस्कर (और व्यक्तिगत वाहन नहीं हैं) की प्रकृति के हैं।”
2.	94/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सं. सा.का.नि. 660(अ) दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना के प्रारंभिक पैरा में शर्त (ii) की जगह निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— “(ii) कि पावती पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा और आयात के लिए अनुमत्य कारखानागत माल विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.13.4 के प्रावधानों के अनुसार होगा :

(1)	(2)	(3)
		प्रावधान किया गया कि पावती पत्र कोल्ड चेन उपस्करों के आयात के लिए स्टेट्स होल्डरों के बीच निर्बाध रूप में हस्तांतरणीय होगा, और यह भी प्रावधान किया गया कि पावती पत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त पार्क में यूनिटों (यूनिटों शब्द में विकासकर्ता शामिल नहीं होंगे) द्वारा कोल्ड चेन उपस्कर के आयात के लिए निर्बाध रूप से हस्तांतरणीय होगा।”
3.	99/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 [सं. सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2009 के जरिए]	उक्त अधिसूचना में प्रारंभिक पैरा में,— (क) “सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से” शब्दों से शुरू होने वाले और “उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3” शब्दों और आंकड़े से अंत होने वाले अंश की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8ख और 9क के अंतर्गत क्रमशः सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, रक्षोपाय शुल्क एवं प्रति पाटन शुल्क से” (ख) शर्त (XII) के बाद निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— “(XIII) कि रक्षोपाय शुल्क एवं प्रति पाटन शुल्क से छूट निम्नलिखित के लिए आयातित सामग्री के संबंध में उपलब्ध नहीं होगी :— (क) अग्रिम प्राधिकार अथवा वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार अथवा शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार के लिए माल की आपूर्ति; (ख) निर्यातोन्मुखी यूनिटों अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अथवा जैव प्रौद्योगिकी पार्क को माल की आपूर्ति; (ग) निर्यात संवर्धन कारखानागत माल का प्राधिकार धारियों कारखानागत माल की आपूर्ति; (घ) 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट (घरेलू फ्रेट कंटेनर उत्पादक) द्वारा मैरिन फ्रेट कंटेनरों की आपूर्ति के लिए जहां उक्त कंटेनर 6 महीने के अंदर अथवा सीमा शुल्क द्वारा अनुमत्य ऐसी बढ़ाई गई अवधि के अंदर भारत से बाहर निर्यात किए जाते हैं; और (ङ) संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए आपूर्ति।”

[फा. सं. 605/33/2010-डी बी के]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

टिप्पणी :—(i) मुख्य अधिसूचना सं. 91/2009-सीमा-शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 657(अ), दिनांक 11 सितम्बर, के जरिए प्रकाशित हुई थी।

(ii) मुख्य अधिसूचना सं. 94/2009-सीमा-शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 11 सितम्बर, के जरिए प्रकाशित हुई थी।

(iii) मुख्य अधिसूचना सं. 99/2009-सीमा-शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 11 सितम्बर, के जरिए प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

No. 90/2010-Customs

G.S.R. 723(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notification, of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table below, shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :—

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	91/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 [vide number G.S.R. 657(E), dated the 11th September, 2009]	In the said notification, in para 2, for the portion beginning with the words “Exemption under this notification shall not be available” and ending with the words “freely importable under the Foreign Trade Policy”, the following shall be substituted, namely :— “Exemption under this notification shall not be available for import of vehicles even if such vehicles are freely importable under the Foreign Trade Policy. However, the vehicles which are in the nature of professional equipment (and are not personal vehicles) for use by the service provider in his regular service business shall be permitted.”
2.	94/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 [vide number G.S.R. 660(E), dated the 11th September, 2009]	In the said notification, in the opening paragraph, for condition (ii), the following condition shall be substituted, namely :— (ii) that the scrip shall be non-transferable and the capital goods allowed for import shall be in accordance with the provisions of paragraph 3.13.4 of the Foreign Trade Policy : Provided that the scrip shall be freely transferable amongst status holders for import of Cold Chain equipments, and Provided further that the scrip shall be freely transferable for import of cold chain equipment by units (the terms units shall not include developers) in a Park recognized by the Ministry of Food Processing Industries.”
3.	99/2009-Customs, dated the 11th September, 2009 [vide number G.S.R. 665(E), dated the 11th September, 2009]	In the said notification in the opening paragraph,— (a) for the portion beginning with the words “from the whole of the additional duty” and ending with the words and figure “Section 3 of the said Customs Tariff Act”, the following shall be substituted, namely :— “from the whole of the additional duty, safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon, respectively under Section 3, 8B and 9A of the said Customs Tariff Act”. (b) after condition (xii), the following condition shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
		“(xiii) that the exemption from safeguard duty and anti-dumping duty shall not be available in respect of material imported— (a) for supply of goods against Advance Authorisation or Advance Authorisation for annual requirement or Duty Free Import Authorisation; (b) for supply of goods to Export Oriented Unit (EOU) or Software Technology Park (STP) or Electronic Hardware Technology Park (EHTP) or Biotechnology Park (BTP); (c) for supply of capital goods to Export Promotion Capital Good (EPCG) Authorisation holders; (d) for supply of marine freight containers by 100% Export Oriented Unit (Domestic freight containers-manufacturers) where said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by customs; and (e) for supply to projects funded by UN Agencies.”

[F. No. 605/33/2010-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.

- Note :—**(i) The principal notification No. 91/2009-Customs, dated the 11th September, 2009, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 657(E), dated the 11th September.
- (ii) The principal notification No. 94/2009-Customs, dated the 11th September, 2009, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 660(E), dated the 11th September.
- (iii) The principal notification No. 99/2009-Customs, dated the 11th September, 2009, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 665(E), dated the 11th September.

CC 14

(U.A.ows Acc

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 6, 2010/भाद्र 15, 1932

No. 495]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 6, 2010/BHADRA 15, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2010

सं. 91/2010-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 730(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में, क्रम सं. 573 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) *	(6)
573	2716 00 00	घरेलू टैरिफ क्षेत्र के मुख्य आर्थिक क्षेत्र से विद्युत ऊर्जा को हटाना या मुख्य आर्थिक क्षेत्र के गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र— (क) यदि 1000 एमडब्ल्यू या उससे अधिक के पॉवर प्रोजेक्ट से हटाया जाये; (i) आयातित कोयले को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाये; (ii) घरेलू कोयले को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाये; (iii) घरेलू गैस को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाये; (ख) यदि 1000 एमडब्ल्यू या उससे कम के पॉवर प्रोजेक्ट से हटाया जाये; (i) आयातित कोयले को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाये; (ii) घरेलू कोयले को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाये; (iii) घरेलू गैस को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाये;	100 रुपये प्रति 1000 केल्व्यूएच कुछ नहीं 110 रुपये प्रति 1000 केल्व्यूएच 40 रुपये प्रति 1000 केल्व्यूएच कुछ नहीं 60 रुपये प्रति 1000 केल्व्यूएच	—	—

(ii) उपाबंध में, शर्त सं. 21ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

शर्त सं. शर्त

"21ख. यदि,—

(क) ऐसे माल का आयात हैंडलूम वस्त्र या सूती वस्त्र या पोलिएस्टर वस्त्र के विनिर्माता द्वारा उक्त माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए किया जाता है जिसका कि विनिर्माता द्वारा निर्यात किया जाना है और उक्त विनिर्माता हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल या 'काटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल' या 'सिन्थेटिक एंड रयान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल', जैसी भी स्थिति हो, में प्रजीकृत है;

(ख) आयातित माल का कुल मूल्य पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात किये गये हैंडलूम वस्त्रों के 5 प्रतिशत या सूती या पॉलियस्टर वस्त्र के, जैसी भी स्थिति हो एफ-ओ-बी मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ग) आयातकर्ता हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल या 'काटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल' या 'सिन्थेटिक एंड रयान टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल' से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उप-शर्त (ख) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये निर्यात का मूल्य को और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिसूचना के अंतर्गत पहले से ही आयातित माल का मूल्य और मात्रा को अभिप्रमाणित किया गया हो।"

[फा. सं. 354/40/2010-टीआरयू]

के.एस.वि.वि. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना 21/2002-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 89/2010-सीमा-शुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 2010, सा.का.नि. 718(अ), तारीख 1 सितम्बर, 2010 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2010

No. 91/2010-CUSTOMS

G.S.R. 730(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R.118 (E), dated the 1st March, 2002, namely:—

In the said notification,—

(i) in the Table, for S.No. 573 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"573	27160000	Electrical energy removed from a Special Economic Zone into Domestic Tariff Area or non-processing areas of Special Economic Zone— (a) if removed from power projects of 1000 MW and above,— (i) using imported coal as fuel; (ii) using domestic coal as fuel; (iii) using domestic gas as fuel; (b) if removed from power projects of less than 1000 MW,— (i) using imported coal as fuel; (ii) using domestic coal as fuel; (iii) using domestic gas as fuel;	Rs. 100 per 1000 kWh Nil Rs. 110 per 1000 kWh Rs. 40 per 1000 kWh Nil Rs. 60 per 1000 kWh	—	—

(ii) in the Annexure, for condition No. 21B and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Condition No.	Conditions
"21 B.	If,— (a) the goods are imported by a manufacturer of handloom made ups or cotton made ups or polyester made ups for use in the manufacture of said goods for export by that manufacturer and the said manufacturer is registered with the Handloom Export Promotion Council or Cotton Textile Export Promotion Council or Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council as the case may be; (b) the total value of goods imported shall not exceed 5 per cent of the FOB value of handloom made ups or 1 per cent of the FOB value of cotton made ups or polyester made ups as the case may be, exported during the preceding financial year; (c) the importer produces a certificate from the Handloom Export Promotion Council or Cotton Textile Export Promotion Council or Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council certifying the value of exports made during the financial year mentioned in sub-condition (b), and also the value and quantity of goods already imported under this notification during the current financial year."

[F. No. 354/40/2010-TRU]

K.S.V.V. PRASAD, Under Secy.

Note :— The principal notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended *vide* notification No. 89/2010-Customs, dated the 1st September, 2010 published *vide* number G.S.R. 718(E), dated the 1st September, 2010.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1326]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2010/आषाढ़ 9, 1932

No. 1326]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2010/ASADHA 9, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2010

सं. 52/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1560(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“सारणी

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डॉलर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	447 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
2.	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	476 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
3.	1511 90 90	अन्य—पॉम ऑयल	462 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
4.	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	481 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
5.	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	484 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
6.	1511 90 90	अन्य—पामोलीन	483 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
7.	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	580 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
8.	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	3645
9.	1207 91 00	पोस्ट बीज	2741 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)”

[फा. सं. 467/4/2010-सीमा-शुल्क-V]

एम्. सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक (आई सी डी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 [का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001] के तहत प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना सं. 47/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 15 जून, 2010 [का.आ. 1435(अ), दिनांक 15 जून, 2010] के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2010

No. 52/2010-Customs (N.T.)

S.O. 1560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Cus.(N.T.), dated the 3rd August, 2001, namely :—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :—

“TABLE

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	Crude Palm Oil	447 (i.e. no change)
2.	1511 90 10	RBD Palm Oil	476 (i.e. no change)
3.	1511 90 90	Others—Palm Oil	462 (i.e. no change)
4.	1511 10 00	Crude Palmolein	481 (i.e. no change)
5.	1511 90 20	RBD Palmolein	484 (i.e. no change)
6.	1511 90 90	Others—Palmolein	483 (i.e. no change)
7.	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	580 (i.e. no change)
8.	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3645
9.	1207 91 00	Poppy Seeds	2741 (i.e. no change)”

[F.No.467/4/2010-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director (ICD)

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001 [S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001] and was last amended *vide* Notification No. 47/2010-Customs (N.T.), dated the 15th June, 2010 [S.O. 1435(E), dated the 15th June, 2010].



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1368]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2012/श्रावण 1, 1934

No. 1368]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 2012/SHRAVANA 1, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

तिरुचिचिरापल्लि, 17 जुलाई, 2012

सं. 01/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1662(अ).—मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देखें सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. 33/94-सीमा-शुल्क (गै.टै.) दिनांक 1-7-1994 एवं 83/2004-सीमा-शुल्क (गै.टै.) दिनांक 30-6-2004, मैं, अधोहस्ताक्षरी, हसपेरी गार्डन, अलागापुरम रोड, आंडिमडम, अरियलूर जिला को भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली (विकास आयुक्त, मनिप्रअं, तांबरम चेन्नै सक्षम प्राधिकारी) द्वारा अनुमोदित देखें फा. सं. क/2011/009/निए-तना दिनांक 1-7-2011 एवं फा. सं. क/2011/009/निए-तना दिनांक 8-11-2011 एक 100% निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने के सीमित प्रयोजनार्थ भांडागारण स्टेशन घोषित करता हूँ।

[फा. सी. सं. IV/16/29/2012-के उ शु नीति]

ए. के. रघुनाथन, आयुक्त (के.उ.शु.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

Tiruchirapalli, the 17th July, 2012

No. 01/2012-CUS. (NT)

S.O. 1662(E).—In exercise of the powers vested in me *vide* notification No. 33/94-Cus (N.T.), dated 1-7-1994 and Notification No. 83/2004-Cus (NT), dated 30-6-2004 issued by Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi delegating powers under Section 9 of Customs Act, 1962. I, the undersigned hereby declare Hassperi Garden, Alagapuram Road, Andimadam, Ariyalur District as warehousing station for the limited purpose of setting up an 100% Export Oriented Unit as approved by the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce *vide* F. No. A/2011/009/EOU-TN, dated 1-7-2011 and F. No. A/2011/009/EOU-TN 8-11-2011 (The Development Commissioner, Thambaram, Chennai, the Competent Authority).

[F.C. No. IV/16/29/2012-C. Ex. Pol.]

A. K. RAGHUNATHAN, Commissioner of Central Excise



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1471]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2012/श्रावण 18, 1934

1471]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2012/SHRAVANA 18, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

सं. 69/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1770(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, मैसर्स एस. ए. पी. इंडिया सिस्टम्स, एप्लीकेशन्स एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग प्रा.लि., मुम्बई एवं अन्य के मामले में निम्न सारणी के कालम 3 में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों, निम्न सारणी के कॉलम सं. (2) में यथा उल्लिखित, में न्याय-निर्णयन के लिए शक्तियों और कर्तव्यों को एतद्वारा आयुक्त (न्याय-निर्णयन), न्यू कस्टम हाउस, निकट इंदिरा गांधी, अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, नई दिल्ली को सौंपता है, यथा :—

सारणी

क्र. सं.	कारण बताओ नोटिसों की सं. और तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	एस/वी/31/2007 एससीएन एस/14-4-30/2010-11 एडीजेएन दिनांक 4-8-2010	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
2	डीआरई/एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-38/2010 दिनांक 4-8-2010	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
3	एयर/कस्टम/50/सीआईसी/49/2011 डीआईआई फन. एस/IV/31/2007 एस/14-4-74/2009-10 एडीजेएन दिनांक 3-5-2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
4	एस/वी/31/2007 एससीएन एस/14-4-85/2009-10 एडीजेएन दिनांक 16-6-2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
5	एस/14-4-31/2011-12 एडीजेएन डीआरआई/एमजेडयू/ई/9/2010 दिनांक 10-6-2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई

6	एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-70/2009-10 एडीजेएन दिनांक 28.06.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
7	एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-72/2009-10 एडीजेएन दिनांक 23.06.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
8	एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-82/2009-10 एडीजेएन दिनांक 23.06.2012	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
9	एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-91/2009-10 एडीजेएन दिनांक 28.06.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
10	डीआरआई/एमजेडयू/ई/11/2011 एस/14-4-46/2011-12 एडीजेएन दिनांक 21.07.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
11	एस/14-04-124/2011-12 एडीजेएन डीआरआई/फा.सं.151/केओएल/एपीपी/2009/पीटी.1 टीसी दिनांक 17.11.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
12	एसडी/आईएनटी/एआईयू/64/2010 एपी ए एस/14-4-84/2010-11 एडीजेएन दिनांक 04.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
13	एसडी/आईएनटी/एआईयू/29/2011 एपी ए एस/14-4-91/2010-11 एडीजेएन एआईयू/जीईएन-31/2010 एप'सी' (2) दिनांक 09.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
14	एसडी/आईएनटी/एआईयू/60/2011 एपी ए एस/14-4-92/2010-11 एडीजेएन दिनांक 11.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
15	एसडी/आईएनटी/एआईयू/31/2011 एपी सी एआईयू/जीईएन-31/2010 एपी 'सी' (5) एस/14-4-95/2010-11 दिनांक 17.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
16	एसडी/आईएनटी/एआईयू/61/2010 एपी ए एस/14-4-97/2010-11 एडीजेएन दिनांक 04.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
17	एसडी/आईएनटी/एआईयू/30/11 एपी 'सी' एस/14-4-10/2011-12 एडीजेएन दिनांक 15.04.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
18	एसडी/आईएनटी/एआईयू/33/11 एपी 'सी' एस/14-4-07/2010-11 एडीजेएन दिनांक	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई

	30.03.11	
19	एसडी/आईएनटी/एआईयू/26/11 एपी 'डी' एस/14-4-02/2011-12 एडीजेएन दिनांक 30.03.11	30.03.2011 की कारण बताओ नोटिस के अनुसार अपर आयुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट को जवाबदेह। दिनांक 13.9.2011 के शुद्धिपत्र के अनुसार सहायक/उप आयुक्त, कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई को जवाब दें।
20	एसडी/आईएनटी/एआईयू/06/11 एपी 'बी' एस/14-4-12/2011-12 एडीजेएन दिनांक 02.05.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
21	एसडी/आईएनटी/एआईयू/28/11 एपी 'डी' एस/14-4-13/2011-12 एडीजेएन दिनांक 03.05.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
22	एसडी/आईएनटी/एआईयू/11 एपी 'डी' एस/14-4-25/2011-12 एडीजेएन दिनांक 26.05.11	30.03.2011 की कारण बताओ नोटिस के अनुसार अपर आयुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट को जवाबदेह। दिनांक 13.9.2011 के शुद्धिपत्र के अनुसार सहायक/उप आयुक्त, कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई को जवाब दें।
23	एस/14-4-44/2011-12 एडीजेएन एस डी/आईएनटी/एआईयू/05/2011 एप 'बी' दिनांक 21.07.2011	उपायुक्त, सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
24	एआईआर/कस्टम/50/सीआईसी/108/2011 एस/14-4-08/2010-11 एडीजेएन एस/IV/31/007 एससीएन (गोदरेज) दिनांक 27.06.2011	आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
25	एआईआर/कस्टम/50/सीआईसी/108/2011 एस/IV/31/007 एससीएन (एमसीजीएम) एस/14-4-51/10-11 एडीजेएन दिनांक 28.06.2011	आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
26	एसडी/आईएनटी/एआईयू/63/2010 एपी 'ए' दिनांक 28.01.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई

27	एसडी/आईएनटी/एआईयू/63/2010 एपी 'ए' दिनांक 03.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
28	एसडी/आईएनटी/एआईयू/22/2010 एपी 'डी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
29	एसडी/आईएनटी/एआईयू/59/2010 एपी 'ए' दिनांक 17.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
30	एसडी/आईएनटी/एआईयू/07/2011 एपी 'बी' दिनांक 04.03.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
31	एसडी/आईएनटी/एआईयू/07/2011 एपी 'बी' दिनांक 16.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
32	एसडी/आईएनटी/एआईयू/64/2011 एपी 'बी' दिनांक 16.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
33	एआईयू/जीईएन-31/2010 एडीएमएन दिनांक 23.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
34	एसडी/आईएनटी/एआईयू/46/2011 एपी 'सी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
35	एसडी/आईएनटी/एआईयू/47/2011 एपी 'सी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
36	एसडी/आईएनटी/एआईयू/62/2011 एपी 'सी' दिनांक 05.08.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
37	एसडी/आईएनटी/एआईयू/32/2011 एपी 'सी' दिनांक 19.04.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
38	एसडी/आईएनटी/एआईयू/32/2011 एपी 'सी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
39	एसडी/आईएनटी/एआईयू/65/2011 एपी 'ए' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
40	एसडी/आईएनटी/एआईयू/21/2011 एपी 'डी' दिनांक 31.03.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
41	एसडी/आईएनटी/एआईयू/21/2011 एपी 'डी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
42	एसडी/आईएनटी/एआईयू/23/2010 एपी 'डी' दिनांक 21.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
43	एसडी/आईएनटी/एआईयू/25/2011 एपी 'डी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई

44	एसडी/आईएनटी/एआईयू/27/2011 एपी 'डी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
----	---	--

[फा. सं. 437/08/2010-सीमा-शुल्क-IV]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

No. 69/2012-Customs (N.T.)

S.O. 1770(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes the Commissioner (adjudication), New Custom House, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi, to exercise the powers and discharge the duties of adjudication of the Show Cause Notices mentioned at Column Number (2) of the Table below, issued by the authorities mentioned at Column Number (3) in case of M/s SAP India Systems, Applications and Products in Data Processing Pvt. Ltd. Mumbai and others, namely:-

TABLE

Serial Number	Show Cause Notice Number and date	Issuing Authority
(1)	(2)	(3)
1	S/IV/31/2007 SCN S/14-4-30/2010-11 Adjn dated 04.08.2010	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
2	DRI/S/IV/31/2007 SCN S/14-4-38/2010 dated 13.06.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
3	Air/cus/50/CIC/49/2011DRIFNo.S/IV/31/2007 S/14-4-74/2009-10 Adjn dated 03.05.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
4	S/IV/31/2007 SCN S/14-4-85/2009-10 Adjn Dated 16.06.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
5.	S/14-4-31/2011-12 Adjn DRI/MZU/E/9/2010 Dated 10.06.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
6.	S/IV/31/2007 SCN S/14-4-70/2009-10Adjn dated 28.06.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
7.	S/IV/31/2007/SCN S/14-4-72/2009-10 Adjn Dated 23.06.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
8.	S/IV/31/2007 SCN S/14-4-82/2009-10 Adjn Dated 23.06.2012	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
9.	S/IV/31/2007 SCN S/14-4-91/2009-10 Adjn Dated 28.06.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
10	DRI/MZU/E/11/2011 S/14-4-46/2011-12 Adjn Dated 21.07.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport Mumbai

2943, 9-7-12-2

11	S/14-04-124/2011-12 Adjn DRI/F.No.151/Ko L/APP/2009/Pt.1 TC dated 17.11.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
12.	SD/INT/AIU/64/2010 AP A S/14-4-84/2010-11 Adjn dated 04.03.11	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
13.	SD/INT/AIU/29/2011 AP C S/14-4-91/2010-11 Adjn AIU/GEN-31/2010 AP'C'(2) dated 09.03.11	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
14.	SD/INT/AIU/60/2011APA S/14-4-92/2010-11 Adjn dated 11.03.11	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
15	SD/INT/AIU/31/2011 AP C AIU/GEN-31/2010AP'C'(5) S/14-4-95/2010-11 dated 17.03.11	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
16.	SD/INT/AIU/61/2010 AP A S/14-4-97/2010-11 Adjn dated 25.03.11	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
17	SD/INT/AIU/30/11AP'C' S/14-4-10/2011-12 Adjn datd 15.04.11	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
18	SD/INT/AIU/33/11AP'C' S/14-4-07/2010-11 Adjn dated 30.03.11	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
19	SD/INT/AIU/26/11AP'D' S/14-4-02/2011-12 Adjn dated 30.03.11	As per SCN dated 30.03.2011 Answerable to Additional Commissioner of Customs, CSI Airport Mumbai. As per Corrigendum dated 13.09.2011 Answerable to Asstt./Dy.Commissioner Courier Cell, CSI Airport, Mumbai.
20	SD/INT/AIU/06/11AP'B' S/14-4-12/2011-12 Adjn dated 02.05.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
21	SD/INT/AIU/28/11AP'D' S/14-4-13/2011-12 Adjn dated 03.05.11	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
22	SD/INT/AIU/24/11AP'D' S/14-4-25/2011-12 Adjn dated 26.05.11	As per SCN dated 23.05.2011 Answerable to Additional Commissioner of Customs, CSI Airport Mumbai. As per Corrigendum dated 03.09.2011 Answerable to Asstt./Dy.Commissioner Courier Cell, CSI Airport, Mumbai.
23	S/14-04-44/2011-12 Adjn SD / INT /AIU / 05/2011 AP 'B' dated 21.07.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai
24	AIR/CUS/50/CIC/105/2011 S/14-4-08/2010-11 Adjn S/IV/31/2007 SCN (Godrej) dated 27.06.2011	Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
25	AIR/CUS/50/CIC/108/2011 S/IV-31/2007-SCN (MCGM) S/14-4-51/10-11 Adjn dated 28.06.2011	Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
26	SD/INT/AIU/63/2010 AP'A' dated 28.01.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
27	SD/INT/AIU/63/2010 AP'A' dated 03.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai

28	SD/INT/AIU/22/2010 AP'D' dated 14.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai
29	SD/INT/AIU/59/2010 AP'A' dated 17.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
30	SD/INT/AIU/07/2011 AP'B' dated 04.03.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
31	SD/INT/AIU/07/2011 AP'B' dated 16.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai
32	SD/INT/AIU/64/2011 AP'B' dated 16.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
33	AIU/Gen-31/2010 Admn dated 23.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai
34	SD/INT/AIU/46/2011 AP'C' dated 14.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai
35	SD/INT/AIU/47/2011 AP'C' dated 14.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai
36	SD/INT/AIU/62/2011 AP'C' dated 05.08.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai
37	SD/INT/AIU/32/2011 AP'C' dated 19.04.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
38	SD/INT/AIU/32/2011 AP'C' dated 14.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai
39	SD/INT/AIU/65/2011 AP'A' dated 14.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, Courier Cell, CSI Airport, Mumbai
40	SD/INT/AIU/21/2011 AP'D' dated 31.03.2011	Additional Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
41	SD/INT/AIU/21/2011 AP'D' dated 14.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
42	SD/INT/AIU/23/2010 AP'D' dated 21.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
43	SD/INT/AIU/25/2011 AP'D' dated 14.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai
44	SD/INT/AIU/27/2011 AP'D' dated 14.06.2011	Deputy Commissioner of Customs, CSI Airport, Mumbai

[F.No. 437/08/2010-Cus.-IV]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

सं. 70/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1771(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मेसर्स कीरी डाइज एण्ड केमिकल्स, प्लाट सं. 299/1/ए, जी आई डी सी, फेस-II, वाटवा, अहमदाबाद एवं अन्य को संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट अहमदाबाद द्वारा फा.सं. डीआरआई/ एजेड्यू/ आईएनवी- 48/2009, दिनांक 15 जून, 2012 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

- (i) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, निकट आकाशवाणी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद;
(ii) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, न्यू कस्टम बिल्डिंग, निकट बालाजी मन्दिर, काण्डला;
(iii) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात-समुद्री कार्गो) कस्टम हाउस, 60, राजाजी सलाई, चेन्नै-600001; और
(iv) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावाशेवा, पो. उडान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र
- को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, निकट आकाशवाणी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद को एक उभय न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/33/2012-सीमा-शुल्क-IV]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

No. 70/2012-Customs (N.T.)

S.O. 1771(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Near Akashvani, Navrangpura, Ahmedabad, to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

- (i) the Additional Commissioner of Customs, Custom House, Near Akashvani, Navrangpura, Ahmedabad;
- (ii) the Additional Commissioner of Customs, Customs House, New Custom Building, Near Balaji Temple, Kandla;
- (iii) the Additional Commissioner of Customs (Import-Sea Cargo), Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai-600 001; and
- (iv) the Additional Commissioner of Customs (Import), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Post Uran, District: Raigad, Maharashtra,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s Kiri Dyes and Chemicals, Plot No.299/1/A, GIDC, Phase II, Vatva, Ahmedabad and others, issued vide, F.No. DRI/AZU/INV-48/2009, dated the 15th June, 2012, by the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F.No.437/33/2012-Cus.-IV]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

सं. 71/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1772(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मेसर्स अग्रवाल इस्पात उद्योग, मण्डी गोविन्द गढ़, लुधियाना एवं अन्य को संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, लुधियाना क्षेत्रीय यूनिट द्वारा डी आर आई फा.सं. 856(30) एल डी एच/2010/आई/1039, दिनांक 15 जून, 2012 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए :-

- (i) संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क, आई सी डी (जी आर एफ एल), साहनेवाल लुधियाना; और
 - (ii) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, आई सी डी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
- को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो (जी आर एफ एल), साहनेवाल, लुधियाना को एक उभय न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/34/2012-सीमा-शुल्क-IV]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

No. 71/2012-Customs (N.T.)

S.O. 1772(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot (GRFL), Sahnewal, Ludhiana, to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

- (i) the Joint Commissioner of Customs, ICD (GRFL), Sahnewal, Ludhiana; and
- (ii) the Additional Commissioner of Customs, ICD, Tughlaqabad, New Delhi,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s Aggarwal Ispat Udyog, Mandi Govindgarh, Ludhiana and others issued vide, DRI F.No. 856(30)LDH/2010/I/1039, dated 15th June, 2012, by the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ludhiana Regional Unit, Ludhiana.

[F.No. 437/34/2012-Cus.-IV]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

2943 97/12-3

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

सं. 72/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1773(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मेसर्स रंजन सूटिंग्स प्रा.लि., ई-148, आरआईआईसीओ इण्डस्ट्रियल एरिया भीलवाड़ा को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, (क्षेत्रीय यूनिट) जयपुर द्वारा फा.सं. 840/जेपीआर/19-एक्सवी (2)/2010/1803-1807 दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात) जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावाशेवा, पो. उड़ान, जिला- रायगढ़ महाराष्ट्र; और

(ii) सहायक/उपायुक्त सीमा शुल्क, निर्यात एसीसी अहमदाबाद, को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, (निर्यात) जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावाशेवा पो.- उड़ान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र को एक उभय न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/38/2012-सीमा-शुल्क-IV]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

No. 72/2012-Customs (N.T.)

S.O. 1773(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs (Export), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Post-Uran, District-Raigad, Maharashtra, to exercise the powers and discharge the duties as adjudicating authority over the powers and duties exercisable by —

- (i) the Additional Commissioner of Customs(Export), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Post-Uran, District-Raigad, Maharashtra; and
- (ii) the Assistant / Deputy Commissioner of Customs, Export, ACC, Ahmedabad,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s Ranjan Suitings Pvt. Ltd., E-148, RIICO Industrial Area, Bhilwara issued vide, F.No.840/Jpr/19-XV(2)/2010/1803-1807 dated 30th November, 2011, by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence (Regional Unit), Jaipur.

[F.No. 437/38/2012-Cus.-IV]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

सं. 73/2012-सीमा-शुल्क (नै.टै.)

का.आ. 1774(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड मेसर्स प्राइमेरा सुल्ज प्रा. लि. जी 125-128, आरआईआईसीओ इण्डस्ट्रियल एरिया फोर्थ फेस भीलवाड़ा एवं अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, (क्षेत्रीय यूनिट) जयपुर द्वारा फा.सं. 840/जेपीआर/19-XV(27)/2010/1449-1456, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावाशेवा, पो. उडान जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र;

(ii) सहायक/ उप आयुक्त, सीमा शुल्क, आईसीडी, भीलवाड़ा;

(iii) सहायक/ उप आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात), एअर कार्गो, नई दिल्ली; और

(iv) सहायक/ उप आयुक्त, सीमा शुल्क (निर्यात), एअर कार्गो, जयपुर (राजस्थान),

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, (निर्यात), जवाहर लाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावाशेवा, पो.-उडान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र को एक उभय न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/39/2012-सीमा-शुल्क-IV]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

No. 73/2012-Customs (N.T.)

S.O. 1774(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs (Export), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Post-Uran, District-Raigad, Maharashtra, to exercise the powers and discharge the duties as adjudicating authority over the powers and duties exercisable by —

- (i) the Additional Commissioner of Customs(Export), Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Post-Uran, District-Raigad, Maharashtra;
- (ii) the Assistant / Deputy Commissioner of Customs, ICD, Bhilwara;
- (iii) the Assistant / Deputy Commissioner of Customs (Export), Air Cargo, New Delhi; and
- (iv) the Assistant / Deputy Commissioner of Customs (Export), Air Cargo, Jaipur (Rajasthan),

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s M/s Primera Sulz Pvt. Ltd., G-125-128, RIICO Industrial Area, 4th Phase, Bhilwara and others issued vide, F.No.840/Jpr/19-XV(27)/2010/1449-1456 dated 27th September, 2011, by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence (Regional Unit), Jaipur.

[F.No. 437/39/2012-Cus.-IV]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1705]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2012/भाद्र 15, 1934

No. 1705]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2012/BHADRA 15, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2012

सं. 80/2012-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 2040(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सं. का.आ. 1851(अ), दिनांक 16 अगस्त, 2012 के जरिए जारी अधिसूचना सं. 75/2012-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 16 अगस्त, 2012 को अधिकांत करते हुए, ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 7 सितम्बर, 2012 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यात माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है।

अनुसूची-I

क्रम संख्या	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क) (आयातित माल के लिए)	(ख) (निर्यात माल के लिए)
1.	आस्ट्रेलियन डालर	57.60	56.35
2.	बाहरेनी दीनार	152.05	143.95
3.	कनेडियन डालर	57.20	55.90
4.	डेनिश क्रोनर	9.50	9.25
5.	यूरो	70.65	69.05
6.	हांग कांग डालर	7.25	7.15
7.	केन्यन शिल्लिंग	67.75	64.00

(1)	(2)	(3)	
4.	Danish Kroner	9.50	9.25
5.	EURO	70.65	69.05
6.	Hong Kong Dollar	7.25	7.15
7.	Kenya Shilling	67.75	64.00
8.	Kuwait Dinar	203.40	191.90
9.	New Zealand Dollar	44.95	43.75
10.	Norwegian Kroner	9.75	9.45
11.	Pound Sterling	89.35	87.60
12.	Singapore Dollar	45.10	44.20
13.	South African Rand	6.85	6.40
14.	Saudi Arabian Riyal	15.30	14.45
15.	Swedish Kroner	8.40	8.15
16.	Swiss Franc	58.85	57.50
17.	UAE Dirham	15.60	14.75
18.	US Dollar	26.20	55.35

SCHEDULE-II

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	72.00	70.20

[F. No. 468/15/2012-Cus.-V]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

CE 14

Customs Act

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1684]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2010/श्रावण 22, 1932

No. 1684]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2010/SHRAVANA 22, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2010

सं. 76/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1999(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“सारणी

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डॉलर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	447 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
2.	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	476 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
3.	1511 90 90	अन्य—पॉम ऑयल	462 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
4.	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	481 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
5.	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	484 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
6.	1511 90 90	अन्य—पामोलीन	483 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
7.	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	580 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
8.	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	3818
9.	1207 91 00	पोस्त बीज	2750”

[फा. सं. 467/4/2010-सीमा-शुल्क-V]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 [का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001] के तहत प्रकाशित की गई थी तथा अंतिम बार अधिसूचना सं. 68/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जुलाई, 2010 [का.आ. 1878(अ), दिनांक 30 जुलाई, 2010] के तहत संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2010

No. 76/2010-Customs (N.T.)

S.O. 1999(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Cus. (N.T.), dated the 3rd August, 2001, namely :—

In the said notification, for the Table, the following Table shall be substituted, namely :—

“TABLE

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 1000	Crude Palm Oil	447 (i.e. no change)
2.	1511 90 10	RBD Palm Oil	476 (i.e. no change)
3.	1511 90 90	Others—Palm Oil	462 (i.e. no change)
4.	1511 1000	Crude Palmolein	481 (i.e. no change)
5.	1511 90 20	RBD Palmolein	484 (i.e. no change)
6.	1511 90 90	Others—Palmolein	483 (i.e. no change)
7.	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	580 (i.e. no change)
8.	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3818
9.	1207 91 00	Poppy Seeds	2750”

[F.No. 467/4/2010-Cus.-V]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001 [S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001] and was last amended *vide* Notification No. 68/2010-Customs (N.T.), dated the 30th July, 2010 [S.O. 1878(E), dated the 30th July, 2010].



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1681]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 3, 2012/भाद्र 12, 1934

No. 1681]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2012/BHADRA 12, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

तिरुनेल्वेली, 24 अगस्त, 2012

सं. 02/2012-सीमा-शुल्क (एन.टी)

का.आ. 2014(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 के खंड(अ) के तहत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 01-07-1994 की अधिसूचना सं. 33/94-सीमा-शुल्क (एन.टी) के तहत अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुनेल्वेली जिले में स्थित शंकरनकोविल ताल्लुक, तिरुवेंगडम गांव को 100% निर्यात-मुख यूनिट स्थापित करने के सीमित प्रयोजन के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अधीन भांडागार केंद्र घोषित करता हूँ।

[फा. सी. सं. IV/16/63/2012-तक.]

बी.वी.वी.टी. प्रसाद नाईक, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL
EXCISE

NOTIFICATION

Tirunelveli, the 24th August, 2012

No. 02/2012-Customs (NT)

S.O. 2014(E).—In exercise of the powers delegated to the undersigned *vide* Notification No. 33/94-Cus(N.T.) dated 01-07-1994 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, I, the undersigned, hereby declare Tiruvengadam Village, Sankarankovil Taluk, Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 for the limited purpose of setting up of 100% Export Oriented Units.

[F. C. No. IV/16/63/2012-Tech]

B.V.V.T. PRASAD NAIK, Commissioner

CC14



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2011/ भाद्र 29, 1933 (शक)
No. 19] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2011/ BHADRA 29, 1933 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 20th September, 2011/Bhadra 29, 1933 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 16th September, 2011, and is hereby published for general information:—

THE CUSTOMS (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2011

(No. 14 of 2011)

[16th September, 2011.]

An Act further to amend the Customs Act, 1962.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Customs (Amendment and Validation) Act, 2011.
2. In section 28 of the Customs Act, 1962, after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(11) Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court of law, tribunal or other authority, all persons appointed as officers of Customs under sub-section (1) of section 4 before the 6th day of July, 2011 shall be deemed to have and always had the power of assessment under section 17 and shall be deemed to have been and always had been the proper officers for the purposes of this section.”

Short title.

Amendment of section 28 of Act 52 of 1962.

V. K. BHASIN,
Secy. to the Govt. of India.

CC₁₄

Customs Act, 1962

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2102]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936

No. 2102]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2014

सं. 97/2014-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 2647(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“सारणी-1

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	725
2.	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	750
3.	1511 90 90	अन्य—पॉम ऑयल	738
4.	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	755
5.	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	758
6.	1511 90 90	अन्य—पामोलीन	757
7.	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	852
8.	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	3953
9.	1207 91 00	पोस्त बीज	3641

सारणी-2

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17-3-2012 की प्रविष्टि संख्या 321 और 323 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	401 प्रति 10 ग्राम
2.	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17-3-2012 की प्रविष्टि संख्या 322 और 324 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	575 प्रति किलोग्राम

सारणी-3

क्रम सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	080280	सुपारी	2239"

[फा. सं. 467/01/2014-सीमा-शुल्क-V पार्ट-I]

अक्षय जोशी, निदेशक, अवर सचिव

नोट :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 95/2014-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 30 सितम्बर, 2014, जिसे का.आ. 2561(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2014

No. 97/2014-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2647(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001, namely :—

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3, the following Tables shall be substituted, namely :—

"TABLE-1

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	Crude Palm Oil	725
2.	1511 90 10	RBD Palm Oil	750
3.	1511 90 90	Others—Palm Oil	738
4.	1511 10 00	Crude Palmolein	755
5.	1511 90 20	RBD Palmolein	758

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	1511 90 90	Others—Palmolein	757
7.	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	852
8.	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	3953
9.	1207 91 00	Poppy Seeds	3641

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 321 and 323 of the Notification No. 12/2012-Customs, dated 17-3-2012 is availed	401 per 10 grams
2.	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 322 and 324 of the Notification No. 12/2012-Customs, dated 17-3-2012 is availed	575 per kilogram

TABLE-3

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$ Per Metric Tons)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	080280	Areca nuts	2239"

[F. No. 467/01/2014-Cus.-V Pt. I]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, *vide* number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended *vide* Notification No. 95/2014-Customs (N.T.), dated the 30th September, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2561(E), dated the 30th September, 2014.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2015/पौष 11, 1936

No. 17]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2015/PAUSHA 11, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

सं. 01/2015-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 17(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की का.आ. 3240(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 के जरिए जारी अधिसूचना सं. 116/2014-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को अधिकांत करते हुए, ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 2 जनवरी, 2015 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यात माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है :—

अनुसूची-I

क्र. सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय ₹. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
1.	आस्ट्रेलियन डालर	52.30	51.00
2.	बाहरेनी दीनार	172.65	163.20
3.	कनेडियन डालर	55.10	53.75

4.	डेनिश क्रोनर	10.45	10.15
5.	यूरो	77.50	75.65
6.	हांग कांग डालर	8.25	8.10
7.	कुवैती दीनार	222.45	210.00
8.	न्यूजीलैंड डालर	50.05	48.65
9.	नॉर्वेजियन क्रोनर	8.60	8.35
10.	पाउण्ड स्टर्लिंग	99.65	97.45
11.	सिंगापुर डालर	48.30	47.20
12.	साउथ अफ्रीकन रैंड	5.65	5.30
13.	साऊदी अरेबियन रियाल	17.35	16.40
14.	स्वीडिश क्रोनर	8.20	8.00
15.	स्विम फ्रैंक	64.40	62.90
16.	यू. ए. इ. दिरहम	17.70	16.75
17.	यू. एस. डालर	63.80	62.75

अनुसूची- II

क्र. सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रु. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
1.	जापानी येन	53.50	52.25
2.	केन्यन शिल्लिंग	72.05	67.80

[फा. सं. 468 /01/2015 - सीमा-शुल्क-V]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

No. 01/2015-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 17(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.116/2014-CUSTOMS (N.T.), dated the 18th December, 2014 *vide* number S.O. 3240(E), dated the 18th December, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto into Indian currency or *vice versa* shall, with effect from 2nd January, 2015 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods:—

SCHEDULE-I

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Australian Dollar	52.30	51.00
2.	Bahrain Dinar	172.65	163.20
3.	Canadian Dollar	55.10	53.75
4.	Danish Kroner	10.45	10.15
5.	EURO	77.50	75.65
6.	Hong Kong Dollar	8.25	8.10
7.	Kuwait Dinar	222.45	210.00
8.	New Zealand Dollar	50.05	48.65
9.	Norwegian Kroner	8.60	8.35
10.	Pound Sterling	99.65	97.45
11.	Singapore Dollar	48.30	47.20
12.	South African Rand	5.65	5.30
13.	Saudi Arabian Riyal	17.35	16.40
14.	Swedish Kroner	8.20	8.00
15.	Swiss Franc	64.40	62.90
16.	UAE Dirham	17.70	16.75
17.	US Dollar	63.80	62.75

SCHEDULE-II

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	53.50	52.25
2.	Kenya Shilling	72.05	67.80

[F. No. 468/01/2015-Cus.V]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 2013/पौष 13, 1934

No. 36]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2013/PAUSA 13, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2013

सं. 1/2013-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 37(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सं. का. आ. 2966(अ), दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 के जरिए जारी अधिसूचना सं. 111/2012-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 20 दिसम्बर, 2012 को अधिकांश करते हुए, ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 4 जनवरी, 2013 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यात माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है।

अनुसूची-I



विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
एक इकाई की विनिमय दर

सं.

(1) (2)

(3)

(क)

(आयातित माल के लिए)

(ख)

(निर्यात माल के लिए)

1. आस्ट्रेलियन डालर	57.70	56.15
2. बाहरेनी दीनार	148.40	140.05
3. कनेडियन डालर	55.80	54.40
4. डेनिश क्रोनर	9.85	9.55
5. यूरो	73.05	71.25
6. हांग कांग डालर	7.10	6.95
7. केन्यन शिल्लिंग	65.25	61.25
8. कुवैती दीनार	199.25	187.40
9. न्यूजीलैंड डालर	46.20	44.85
10. नॉर्वेजियन क्रोनर	10.00	9.70

(1)	(2)	(3)	
		(क) (आयातित माल के लिए)	(ख) (निर्यात माल के लिए)
11.	पाउण्ड स्टर्लिंग	89.95	87.80
12.	सिंगापुर डालर	45.15	44.00
13.	साउथ अफ्रीकन रैंड	6.65	6.25
14.	साऊदी अरेबियन रियाल	14.90	14.10
15.	स्वीडिश क्रोनर	8.55	8.30
16.	स्विस फ्रैंक	60.60	59.05
17.	यू. ए. ई. दिरहम	15.25	14.40
18.	यू. एस. डालर	54.85	53.85

अनुसूची-II

क्र. सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर	
		(क) (आयातित माल के लिए)	(ख) (निर्यात माल के लिए)
(1)	(2)	(3)	
1.	जापानी येन	63.15	61.45

[फा. सं. 468/01/2013-सीमा-शुल्क-V]

सतीश कुमार रेड्डी, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2013

No. 1/2013-Customs (N.T.)

S.O. 37(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 111/2012-Customs (N.T.), dated the 20th December, 2012 *vide* number S.O. 2966(E), dated the 20th December, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto into Indian currency or *vice versa* shall, with effect from 4th January, 2013 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods.

SCHEDULE-I

Sl. No. Foreign Currency		Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a) (For Imported Goods)	(b) (For Export Goods)
1.	Australian Dollar	57.70	56.15
2.	Bahrain Dinar	148.40	140.05
3.	Canadian Dollar	55.80	54.40
4.	Danish Kroner	9.85	9.55
5.	EURO	73.05	71.25
6.	Hong Kong Dollar	7.10	6.95
7.	Kenya Shilling	65.25	61.25

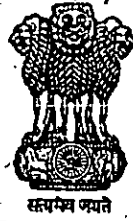
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
8.	Kuwait Dinar	199.25	187.40
9.	New Zealand Dollar	46.20	44.85
10.	Norwegian Kroner	10.00	9.70
11.	Pound Sterling	89.95	87.80
12.	Singapore Dollar	45.15	44.00
13.	South African Rand	6.65	6.25
14.	Saudi Arabian Riyal	14.90	14.10
15.	Swedish Kroner	8.55	8.30
16.	Swiss Franc	60.60	59.05
17.	UAE Dirham	15.25	14.40
18.	US Dollar	54.85	53.85

SCHEDULE-II

Sl. No. Foreign Currency		Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	63.15	61.45

[F. No. 468/01/2013-Cus.-V]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2012/माघ 10, 1933

No. 36]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2012/MAGHA 10, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2012

सं. 8/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 55(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उप-वाक्य (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 11 के समक्ष, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, के कॉलम (3) में मेद (X1) के पश्चात् और कॉलम (4) में उनसे संबंधित प्रविष्टि में क्रमशः निम्नलिखित मद और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा :—

(3)

(4)

“(xii) तोन्डियार्पेट (टीएनपीएम), चेन्नै

आयातित माल को उतारना और निर्यात माल को लोदना”

[फा. सं. 450/113/2011-सी.शु.-IV]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण :—प्रधान अधिसूचना सं. 12/97-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 को सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 60/2011-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 24 अगस्त, 2011 के द्वारा सा.का.नि. 638(अ), दिनांक 24 अगस्त, 2011 के तहत किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2012

No. 8/2012-Customs (N.T.)

G.S.R. 55(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.), dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 11 relating to the State of Tamil Nadu, in column (3), after item (xi) and the entry relating thereto in column (4), the following item and the entry shall respectively be inserted, namely:—

(3)	(4)
'(xii) Tondiarpet (TNPM), Chennai	Unloading of imported goods and the loading of export goods."

[F. No. 450/113/2011-Cus. IV]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

Note :—The principal notification No. 12/97-Customs (N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and was last amended by notification No. 60/2011-Customs (N.T.), dated the 24th August, 2011, *vide* number G.S.R. 638(E), dated the 24th August, 2011.

- (क) खंड (ख) के उपखंड (1) में, शब्द “रक्षा मंत्रालय” के स्थान पर शब्द “रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय, यथास्थिति” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;
- (iv) क्रम सं० 11 के सामने, स्तंभ (3) में,—

(क) स्तंभ (क) में, शब्द “तस्करी विरोधी अभियानों के उपयोग के लिए” के स्थान पर शब्द “तस्करी विरोधी अभियानों उपयोग के लिए या तटीय सुरक्षा अभियान या आंतरिक सुरक्षा अभियान” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ख) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,—

“ (ख) आयातकर्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें,—

- (i) भारत सरकार, राजस्व विभाग के अवर सचिव द्वारा कि उक्त माल तस्करी विरोधी अभियानों के उपयोग के लिए है या
- (ii) जो ऐसे अधिकारी से जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति के न हो द्वारा कि उक्त माल तटीय सुरक्षा अभियान या आंतरिक सुरक्षा अभियान के उपयोग के लिए है.”

- (v) क्रम सं० 12 के सामने, स्तंभ (3) में, शब्द “केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल” के स्थान पर शब्द “केन्द्रीय अर्द्धसेनिक बल” प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

[फा. सं. 354/76/2011-टीआरयू]

राज कुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा०का०नि० 291 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 64/2011-सीमाशुल्क, 19 जुलाई, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा०का०नि० 550 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi the, 12th September, 2011

No. 89/2011-Customs

G.S.R. 674(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments, in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published in Gazette of India, Extraordinary part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 291(E), dated the 23rd July, 1996, namely:—

In the said notification, in the TABLE,

- (i) against S.No.2, in column (2), for the words “Indian Navy” the words, “Indian Navy or Central Para Military Forces” shall be substituted;

- (ii) against S.No.8,—

- (a) in column (2), for the words “Ministry of Defence”, the words “Ministry of Defence or Ministry of Home Affairs” shall be substituted

(1)	(2)	(3)
"19.	1905 31 00 or 1905 90 20	Biscuits cleared in packaged form with per kg retail sale price equivalent not exceeding Rs. 100. Explanation.- "retail sale price" shall have the same meaning as defined in column (3) against S. No. 18A of notification no.3/2006-Central Excise dated 1 st March,2006 published vide G.S.R. 93 (E), dated the 1 st March, 2006

(ii) After the table the following shall be added, namely,-

"2. Nothing contained in this notification shall apply to any inputs or intermediate goods other than sugar syrup or cream used in the manufacture of goods mentioned at S. No. 19."

[F. No. 354/100/2011-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note : The principal notification No.10/1996-Central Excise dated the 23rd July, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 308 (E), dated the 23rd July, 1996 was last amended vide notification No. 48/2006 - Central Excise, dated the 30th December, 2006, published vide number G.S.R.804 (E), dated the 30th December, 2006.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2011

सं. 89/2011-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 674(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में सा०का०नि० 291 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(i) क्रम सं० 2 के सामने, स्तंभ (2) में, शब्द "भारतीय नौसेना" के स्थान पर शब्द - "भारतीय नौसेना या केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) क्रम सं० 8 के सामने,-

(क) स्तंभ (2) में, शब्द "रक्षा मंत्रालय" के स्थान पर शब्द "रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ख) स्तंभ (3) में शब्द "भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव" और "उक्त अवर सचिव" के स्थान पर शब्द "भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव या भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव, यथास्थिति" और "उक्त अवर सचिव या उक्त संयुक्त सचिव, यथास्थिति" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(iii) क्रम सं० 10 के सामने, स्तंभ (3) में,-

- (b) In column (3), for the words "Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence" and "said Under Secretary", the words "Under Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence or Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, as the case may be" and "said Under Secretary or said Joint Secretary, as the case may be" shall respectively be substituted;

(iii) against S.No.10, in column (3),-

- (a) in clause (b), in sub-clause (1), for the words "Ministry of Defence", the words "Ministry of Defence or Ministry of Home affairs, as the case may be" shall be substituted;
- (b) in clause (2), sub-clause (iii), for the words "Ministry of Defence", the words "Ministry of Defence or Ministry of Home affairs, as the case may be" shall be substituted;

(iv) against S.No.11, in column (3),-

- (a) in clause (a), for the words "for use in anti-smuggling operations", the words, "for use in anti smuggling operations or coastal security operations or internal security operations" shall be substituted;

- (b) for clause (b), the following shall be substituted, namely,-

"(b) the importer produces a certificate,-

- (i) from the Under Secretary to the Government of India in the Department of Revenue that the said goods are intended for use in anti-smuggling operations or
- (ii) from an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India, in the Ministry of Home Affairs that the said goods are intended for use in coastal security operations or internal security operations."

- (v) against S.No.12, in column (3), for the words "Central Reserve Police Force", the words "Central Para Military Forces" shall be substituted;

[F. No. 354/76/2011-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note : The principal notification No.39/96-Customs dated the 23rd July, 1996 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 291 (E), dated the 23rd July, 1996 and last amended vide notification No. 64/2011-Customs dated the 19th July, 2011, published in Gazette of India, Extraordinary part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.550 (E), dated the 19th July, 2011.

3477 GZ/11-2



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 4, 2011/आश्विन 12, 1933

No. 557]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2011/ASVINA 12, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2011

सं. 72/2011-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 745(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 158 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के साथ पठित धारा 157 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. लघु शीर्ष एवं आरम्भ.—

(1) इन विनियमों को 'आयातकों और निर्यातकों के परिसरों में निकासी के उपरान्त स्थल पर लेखा परीक्षा विनियम, 2011' कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'लेखा परीक्षा' का अर्थ है प्रविष्टि बिलों, शिपिंग बिलों, बीजकों, पैकिंग सूचियों, आयात लाइसेंसें, लेखा बहियों और आयातित तथा निर्यात माल से संबंधित कारोबार के अन्य रिकार्डों की जांच और इसमें परिसरों में माल के

उपलब्ध होने और अनिवार्य होने पर इनकी जांच और नमूने का लिया जाना भी शामिल है।

(ख) 'लेखा बहियों' में लेजर, दैनिक बहियां, रोड बहियां, लेखा बहियां और लेखा, चाहे लिखित अथवा मुद्रित रूप में हों और फ्लॉपी, डिस्क, टेप अथवा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक आंकड़ा भंडारण यंत्र में भरे गए आंकड़े शामिल हैं।

(ग) 'परिसरों' में वह स्थान, जहां सामान्यतया आयातक अथवा निर्यातक, जैसा मामला हो, द्वारा आयातित अथवा निर्यात माल और संबंधित लेखा बहियां, कारोबार संबंधी रिकार्ड और अन्य दस्तावेज रखे जाते हैं तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी उसके आयातक निर्यातक संहिता (आई ई सी) में दर्शाया गया उसका पंजीकृत कार्यालय अथवा परिसर तथा ऐसे स्थान जहां आयातित अथवा निर्यात माल, जैसा मामला हो, सामान्यतया रखे जाते हैं, शामिल हैं।

(घ) यहां प्रयुक्त और गैर परिभाषित परन्तु सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में परिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियम में उनके अर्थ हैं।

3. आयातकर्ता और निर्यातकर्ता सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे.—

(1) आयातकर्ता और निर्यातकर्ता, जैसी भी स्थिति हो; यथोचित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, माल के आयात या निर्यात, जैसी भी स्थिति हो, के बारे में आयात या निर्यात की

तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए अपने द्वारा व्यवस्थित किए गए बही खातों, संव्यवहार के कागजातों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों को समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराएंगे।

- (2) आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, यथोचित अधिकारी को तथ्यात्मक और सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
- (3) आयातकर्ता और निर्यातकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, यथोचित अधिकारी की अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वाह में मदद करेंगे और किसी भी मामले में उसको अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वाह में सहायता करने से इन्कार नहीं करेंगे और अड़चन नहीं डालेंगे।

4. लेखा-परीक्षा कराने का तरीका.—

- (1) यथोचित अधिकारी लेखा-परीक्षा कराने के लिए आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, कम से कम पन्द्रह दिन पहले नोटिस देगा।
- (2) यथोचित अधिकारी जहां भी जरूरी समझे :—
 - (i) ऐसी लेखा-परीक्षा को कराने के पहले आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, से आयातित माल या निर्यातित माल, जैसी भी स्थिति हो, के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा;
 - (ii) आयातित या निर्यातित माल, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए उस परिसर का दौरा करेगा।
- (3) यथोचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, के परिसरों में ही लेखा-परीक्षा करेगा।
- (4) यथोचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, को लेखा-परीक्षा की मसौदा रिपोर्ट के तैयार होने के पहले-पहले अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, से अवगत कराएगा जिससे कि उसको समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके।
- (5) जहां कि आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, लेखा-परीक्षा के निष्कर्षों से अंशतः या पूर्णतः सहमत है, तो वह देय शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान स्वेच्छतया कर सकता है और यथोचित अधिकारी इसको लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में दर्ज कर लेगा।
- (6) यथोचित अधिकारी, जहां भी जरूरी हो, आयातित या निर्यातित माल का वहां निरीक्षण करेगा जहां कि माल लेखा-परीक्षा के दौरान उपलब्ध है।
- (7) यथोचित अधिकारी आयातकर्ता या निर्यातकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, की उपस्थिति में आयातित या निर्यातित माल का नमूना ले सकता है और सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां भी ले सकता है जिससे कि शुल्क के आकलन की परिशुद्धता का सत्यापन किया जा सके।

5. दंड.—कोई आयातकर्ता या निर्यातकर्ता जैसी भी स्थिति हो, ऐसे विनियमों के प्रावधान का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन के लिए प्रेरित करता है या किसी प्रावधान के अनुपालन में असफल

रहता है जिसका अनुपालन करना, उसका कर्तव्य था तो उस पर पचास हजार रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।

[फा. सं. 450/1/2010-निदेशक (सीमा-शुल्क)]

विकास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2011

No. 72/2011-Customs (N.T.)

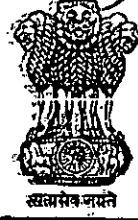
G.S.R. 745(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 157, read with clause (ii) of sub-section (2) of Section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the 'On-site Post Clearance Audit at the Premises of Importers and Exporters Regulations, 2011'.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) 'audit' means examination of bills of entry, shipping bills, invoices, packing lists, import licences, books of account, and other records of transaction relating to imported and export goods, and may include inspection of goods at the premises, if available and where necessary, drawl of samples;
- (b) 'books of account' includes ledgers, day-books, cash books, account-books and other accounts whether kept in the written or printed form and data stored on a floppy, disc, tape or any other form in electro-magnetic data storage device;
- (c) 'premises' includes the place at which imported or export goods and connected books of account, records of transaction and other documents are ordinarily kept by an importer or exporter, as the case may be, and his registered office or the premises indicated in his Importer Exporter Code (IEC) issued by the Ministry of Commerce and Industry and the places wherever the imported or export goods, as the case may be, are ordinarily kept;
- (d) words and expressions used and not defined herein but defined in the Customs Act, 1962 shall have the same meaning respectively, assigned to them in the said Act.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 23, 2012/श्रावण 1, 1934

No. 372]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 23, 2012/SHRAVANA 1, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2012

सं. 64/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 584(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, सं. 83/2004-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2004, जिसे सा.का.नि. 393(अ), दिनांक 30 जून, 2004 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ (2) में शब्द “हैदराबाद” को निरसित कर दिया जाएगा।

[फा. सं. 434/21/2010-सीमा-शुल्क-IV]

विकास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2012

No. 64/2012-Customs (N.T.)

G.S.R. 584(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 83/2004-Customs (N.T.), dated the 30th June, 2004, published in the Gazette of India vide number G.S.R. 393(E), dated the 30th June, 2004, namely :—

In the said notification, in paragraph (2), the words ‘at Hyderabad’ shall be omitted.

[F. No. 434/21/2010-Cus.-IV]

VIKAS, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2010/श्रावण 19, 1932

No. 442]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2010/SHRAVANA 19, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2010

सं. 81/2010-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 664(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 20/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 92 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंतः स्थापित की जायेगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“70क.	84	भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, [सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002] की सारणी के उपबंध में क्रम सं० 270क के सामने विनिर्दिष्ट माल अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 के अंतर्गत माल के संबंध में विनिर्दिष्ट उपलब्ध शर्तों के अधीन छूट प्रदान की है	कुछ नहीं

[फा. सं. 354/48/2007-टीआरयू]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी :-मूल अधिसूचना 20/2006-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण सा०का०नि० 92 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 24/2010-सीमाशुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, सा०का०नि० 137 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2010

No. 81/2010-Customs.

G.S.R. 664(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments, in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.92 (E), dated the 1st March, 2006, namely:-

In the said notification, in the Table, after S.No.70 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"70A.	84	Goods specified against S. No. 270 A of the Table annexed to notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 118 (E), dated the 1st March, 2002] Provided that the exemption available under this notification shall be subject to the conditions, specified in respect of such goods under notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002]	Nil;

[F.No.354/48/2007-TRU]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

Note :—The principal notification number 20/2006-Customs, dated the 1st March, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.92(E), dated the 1st March, 2006 and last amended by notification number 24/2010-Customs, dated the 27th February, 2010 published vide number G.S.R. 137 (E), dated the 27th February, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2010

सं. 80/2010-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 665(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) प्रस्तावना में, परंतुक में, खंड (ट) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जायेगा, यथा:-

“(ठ) उक्त सारणी में क्रम सं० 164क के सामने विनिर्दिष्ट माल या 31 मार्च, 2011 के पश्चात”

(ii) सारणी में,-

(क) क्रम सं० 164 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित की जायेगी, यथा:

क्रम सं०	अध्याय या शीर्ष सं० या उप-शीर्ष सं०	माल का विवरण	मानक दर	अतिरिक्त शुल्क दर	शर्त सं०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“164क.	5002	उपरोक्त ग्रेड 3क के सँ सिल्क	कुछ नहीं	-	5ग.

(ख) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 270 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित की जायेगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“ 270क	84	सुरक्षा मुद्रण और मिनिंग निगम आफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) द्वारा आयातित या उसके एज में निम्नलिखित माल (i) पूरी तरह से स्वचालित पाउच पैकेजिंग मशीन या उपकरण या संयंत्र के पुर्जे (ii) सीडब्ल्यूबीएन पेपर और अन्य सुरक्षा कागज के विनिर्माण के लिए संयंत्र या मशीनरी या उपकरण और उससे संबंधित पुर्जे और उपभोग्य (iii) बैंकनोट के लिए मुद्रण के लिए संयंत्र या मशीनरी या उपकरण और उससे संबंधित पुर्जे और उपभोग्य (iv) फोटोग्रेवेयर प्रिंटिंग मशीन एम्बोसिंग सहित या डी-बोसिंग सुविधा सहित (v) ई-पासपोर्ट के विनिर्माण के लिए संयंत्र या मशीनरी या उपकरण, पुर्जे और उपभोग्य (vi) बैंकनोट के इस्पेक्शन और प्रोसेसिंग लिए संयंत्र या मशीनरी या उपकरण, पुर्जे और उपभोग्य	5 %	कुछ नहीं	”

(iv) उपाबंध में, शर्त सं० 5ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जायेगी, यथा:-

शर्त सं०	शर्त
5ग.	यदि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) द्वारा आयातित समग्र मात्रा एक वित्तीय वर्ष में 2500 मीट्रिक टन मात्रा से अधिक नहीं है जिसका भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के नीचे के रैंक का अधिकारी न हो, द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. 354/48/2007-टीआरयू]

प्रशान्त कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी :- मूल अधिसूचना 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 118 (अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 69/2010-सीमाशुल्क, तारीख 23 जून, 2010, सा०का०नि० 552 (अ), तारीख 23 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2010

No. 80/2010-Customs

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 118(E) dated the 1st March, 2002, namely :-

In the said notification, -

(i) in the preamble, in the proviso, after clause (j), the following clause shall be inserted, namely :-

“(k) the goods specified against serial No. 164A of the said Table on or after the 31st day of March, 2011.”

(ii) in the Table,-

(a) after S.No. 164 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

S. No.	Chapter or Heading No. or sub-heading No.	Description of goods	Standard rate	Additional duty rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"164 A.	5002	Raw silk of grade 3A and above	Nil	-	5C.

(b) after S. No. 270 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"270A	84	The following goods, to be imported by or on behalf of Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL), namely:- (i) Fully automatic sachet Packaging machinery or equipment or plant, its spares; (ii) Plant or machinery or equipment, related spares and consumables for the manufacture of CWBN paper and other security paper; (iii) Plant or machinery or equipment, related spares and consumables for printing of banknotes; (iv) Photogravure printing machine with embossing or de-bossing facility; (v) Plant or machinery or equipment, its spares and consumables for manufacture of e-passport; (vi) Plant or machinery or equipment, its spares and consumables for inspection and processing of banknotes.	5%	Nil	"

(iii) in the Annexure, after condition No. 5B and the entries relating thereto, the following condition shall be inserted, namely :-

Condition No.	Condition
"5C.	If imported by National Handloom Development Corporation up to an aggregate quantity not exceeding 2500 metric tonnes in a financial year under cover of a certificate from an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Textiles."

[F.No. 354/48/2007-TRU]

PRASHANT KUMAR, Under Secy.

Note:—The principal notification No.21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 69/2010-Customs, dated the 23rd June, 2010, [G.S.R. 552(E), dated the 23rd June, 2010.

312546/10-2



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2012/आश्विन 18, 1934

No. 519]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2012/ASVINA 18, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2012

सं. 29/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 758(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 5) की धारा 28 ककक के प्रावधान प्रथम उल्लिखित अधिनियम की धारा 3 के द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों के बारे में किसी प्रकार के मामले में लागू होंगे लेकिन यह निम्नलिखित रूपान्तरण और परिवर्तन, जिसको कि केन्द्र सरकार ऐसी परिस्थितियों में इन प्रावधानों को अपनाने के लिए आवश्यक और वांछनीय समझे, के अधीन होगा, यथा—

(I) उप-धारा (1) में

(क) प्रारम्भिक पैराग्राफ में, "इस अधिनियम" के दूसरे संदर्भ को "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1)" का संदर्भ माना जाएगा;

(ख) इस परंतुक में, "धारा 28 के अंतर्गत आयातकर्ता" का संदर्भ "व्यक्ति जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11 क के अंतर्गत शुल्क लगाया जाना चाहिए" के संदर्भ में भी माना जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण 1 में "इस अधिनियम" का संदर्भ "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1)" के संदर्भ में भी माना जाएगा;

(II) उप-धारा (2) में "धारा 28 कक" के संदर्भ को "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11 कक" का भी संदर्भ माना जाएगा।

(III) उप-धारा (3) में "यथोचित अधिकारी" के संदर्भ को "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 2 के उप-वाक्य (ख) में परिभाषित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी" के संदर्भ में भी माना जाएगा।

(IV) उप-वाक्य (4) में, "धारा 28" के संदर्भ को "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1)" के संदर्भ में भी माना जाएगा।

[फा. सं. 267/48/2012-सीएक्स 8]

विकास कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2012

No. 29/2012-Central Excise(N.T.)

G.S.R. 758(E).—In exercise of powers under Section 12 of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944), the Central Government hereby declares that the provisions of Section 28AAA of the Customs Act, 1962 (5 of 1962) shall be applicable in regard to like matters in respect of the duties imposed by Section 3 of the first mentioned Act, subject to the following modifications and alterations which the Central Government considers necessary and desirable to adapt those provisions to the circumstances, namely :—

- (I) In sub-section (1),—
- (a) In the opening paragraph, the second reference to “this Act,” shall be deemed to be reference to “the Central Excise Act, 1944(1 of 1944)”;
 - (b) In the proviso, the reference to “importer under section 28” shall be deemed to be reference to “person chargeable with the duty under section 11A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944)”;
 - (c) In the *Explanation* 1, the reference to “this Act” shall be deemed to be reference to “the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944)”.
- (II) In sub-section (2), the reference to “section 28AA” shall be deemed to be reference to “section 11AA of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944)”.
- (III) In sub-section (3), the reference to “proper officer” shall be deemed to be reference to “Central Excise Officer as defined in clause(b) of section 2 of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944)”.
- (IV) In sub-section (4), the reference to “section 28” shall be deemed to be reference to “section 11A of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944)”.

[F. No. 267/48/2012-CX8]

VIKAS KUMAR, Director

111 टोरेन्ट इनर्जी लि. दहेज, गुजरात-1200 मेगावाट

[फा. सं. 354/78/2010-टीआरयू(भाग-1)]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पण.—प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 17 मार्च 2012 को सा.का.नि. 185(अ) दिनांक 17 मार्च 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 47/2012-सीमा शुल्क, दिनांक 21-08-2012 जिसे सा.का.नि. 644(अ), दिनांक 21-08-2012 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2012

No. 49/2012-Customs

G.S.R. 675(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2012- Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table, -

- (i) against S. No. 507, in the entries under column (3), for the words "Mega Power Project, so certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power", the words, figures and letters " Mega Power Project specified in List 32A, so certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power before the 19th day of July, 2012" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 508, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted, namely :-

"Goods required for the expansion of Mega Power projects, namely, Vindhyachal STPP Stage -V (Expansion Unit)- 500 MW (NTPC Ltd.) and UNOSUGEN CCPP, Gujarat (An expansion unit of Sugen CCPP of 1147.5 MW)- 382.5(1) (M/s. Torrent Power Ltd.), so certified by an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Power before the 19th day of July, 2012.

Explanation.- For the purposes of this entry, Mega Power Project means a project as defined in S. No 507";

(B) in the ANNEXURE, after List 32 and the entries relating thereto, the following List and entries shall be inserted, namely:-

"List 32A (See S. No. 507 of the Table)

- 1 Parbati-II, Himachal Pradesh - 4x200=800 MW (NHPC)
- 2 Teesta- V, Sikkim - 3x170=510 MW (NHPC)
- 3 Sipat-II, Chhattisgarh - 2x500=1000 MW (NTPC)
- 4 Vindhyachal-III, Madhya Pradesh - 2x500=1000 MW (NTPC)
- 5 Talcher-II, Orissa - 4x500=2000 MW (NTPC)
- 6 Rihand-II, Uttar Pradesh - 2x500=1000 MW (NTPC)

34239712-5

- 7 Sipat-I, Chhattisgarh - 3x660=1980 MW (NTPC)
- 8 Kahalgaon-II Phase-I & II Bihar - 3x500=1500 MW (NTPC)
- 9 Barh, Bihar - 3x660=1980 MW (NTPC)
- 10 Koldam, Himachal Pradesh - 4x200=800 MW (NTPC)
- 11 Tuticorin, Tamil Nadu- 2x500=1000 MW (NLC)
- 12 Parbati-III, Himachal Pradesh - 4x130=520 MW (NHPC)
- 13 Jhanor Gandhar CCPP-II, Gujarat - 2x650=1300 MW (NTPC)
- 14 Kāwas CCPP-II, Gujarat - 2x650=1300 MW (NTPC)
- 15 RGPPL, Maharashtra - 2150 MW (JV of NTPC/ GAIL/ Govt. of Maharashtra)
- 16 Tapovan Vishnugad HEP, Himachal Pradesh - 4x130=520 MW (NTPC)
- 17 Simhadri-II, Andhra Pradesh - 2x500=1000 MW (NTPC)
- 18 Indira Gandhi STPP-JV project, Haryana - 3x500=1500 MW (NTPC)
- 19 Bongaigaon, Assam - 3x250=750 MW (NTPC)
- 20 Barh-II, Bihar - 1320 MW (NTPC)
- 21 Koderma TPS St-I, Jharkhand - 1000 MW (DVC)
- 22 Durgapur Steel TPS, West Bengal - 2x500=1000 MW (DVC)
- 23 Tehri Pump Storage Project - 4x250=1000 MW (THDC)
- 24 Mauda, Maharashtra - 2x500=1000 MW (NTPC)
- 25 Rihand- III, Uttar Pradesh - 2 x 500=1000 MW (NTPC)
- 26 Nabinagar- JV with Railways, Bihar - 4 x 250=1000 MW (NTPC)
- 27 Vallur Stage- I Phase I & II, Tamil Nadu - 3 x 500=1500 MW (NTPC-Tamil Nadu Energy Co. Ltd.)
- 28 Raghunathpur TPS Phase 1, West Bengal - 2 x 600=1200 MW (DVC)
- 29 Tanda- II, Uttar Pradesh-2 x 660=1320 MW (NTPC)
- 30 Meja, Uttar Pradesh - 2 x 660=1320 MW (NTPC)
- 31 Vindhyachal-IV, Madhya Pradesh - 2 x 500=1000 MW (NTPC)
- 32 Solapur STPP, Maharashtra - 2x660=1320 MW (NTPC)
- 33 Nabinagar STPP, JV with Bihar, Bihar-3x660=1980 MW (NTPC)
- 34 Mouda STPP-II, Maharashtra- 2x660= 1320 MW (NTPC)
- 35 Raghunathpur TPS (Ph-II), West Bengal- 2x660=1320 MW (DVC)
- 36 North Karanpura STPP, Jharkhand- 3x660=1980 MW (NTPC)
- 37 Kudgi STPP stage-I, Karnataka- 3x800=2400 MW (NTPC)
- 38 Darlipalli STPP, Stage-I Orissa- 2x800=1600 MW (NTPC)
- 39 Barethi STPP, Madhya Pradesh- 6x660=3960 MW (NTPC)
- 40 Lara STPP, Chhattisgarh -2x800=1600 MW (NTPC)
- 41 Gajmara STPP Stage-I - 2x800= 1600MW (NTPC)
- 42 Rajiv Gandhi CCPP Stage- II Phase-I, Kerala- 3x350 =1050 MW (NTPC)
- 43 Gidderbha STPP, Punjab - 4x660= 2640 MW (NTPC)
- 44 Khargone Super TPP, M.P. - 2x660= 1320 MW (NTPC)
- 45 Gadarwara Super TPP, M.P. - 2x660= 1320 MW (NTPC)
- 46 Katwa Super TPP, West Bengal - 2x800= 1600 MW (NTPC)
- 47 Bilhapur STPP, Uttar Pradesh -2x660= 1320 MW (NTPC)
- 48 Talcher STPP Stage-III, Orissa - 2x660=1320 MW (NTPC)
- 49 Khedar (Hissar), Haryana - 1000 (+200) MW (HPGCL)
- 50 Khandwa, Madhya Pradesh - 2x500= 1000 MW (MPPGCL)
- 51 Gas based CCPP Pragati-III, Delhi-1371.6 MW (Pragati Power Corp. Ltd.)
- 52 Sri Damodaran Sanjeevaiah, Nellaturu, Andhra Pradesh - 2x800=1600 MW (APPDCL)
- 53 Chandrapur Expansion, Maharashtra- 2x500= 1000 MW (MSPGCL)
- 54 Koradi Expansion, Maharashtra- 3x660= 1980 MW (MSPGCL)

- 55 Bhusawal Expansion, Maharashtra- 2x500= 1000 MW (MSPGCL)
- 56 Supercritical TPP at STPS Stage-V at Suratgarh, Rajasthan- 2x660= 1320 MW (RRVUNL)
- 57 Supercritical TPP at Chhabra, Rajasthan - 2x660= 1320 MW (RRVUNL)
- 58 North Chennai, Tamil Nadu-2x600=1200 MW (TNEB)
- 59 Purulia Pump Storage Hydel Project, West Bengal- 4x225= 900 MW (State Sector)
- 60 Sagardighi TPP Ext. Unit 3&4, West Bengal-2x500=1000 MW (WBPDL)
- 61 Shree Singaji TPP-2x660 (MP Power Generating Company Ltd MW (MPPGCL)
- 62 Krishnapatnam UMPP, Andhra Pradesh- 6x660= 3960 MW (Coastal Andhra Power Ltd.)
- 63 Mundra UMPP, Gujarat- 5x800= 4000 MW (Coastal Gujarat Power Ltd.)
- 64 Sasan, Madhya Pradesh- 6x660= 3960 MW (Sasan Power Ltd.)
- 65 Tilaiya UMPP, Jharkhand- 5x800= 4000 MW (Jharkhand Integrated Power Ltd.)
- 66 Orissa UMPP, Orissa- 5x800= 4000 MW
- 67 Chhattisgarh UMPP, Chhattisgarh- 5x800= 4000 MW
- 68 Cheyyur UMPP,- 5x800= 4000MW
- 69 Raigarh TPP, Chhattisgarh- 4x250= 1000 MW (M/s. Jindal Power Ltd.)
- 70 Akhahol GBPP, Gujarat- 3x382.5= 1147.5 MW (M/s. Jindal Power Ltd.)
- 71 Udupi (Nagarjuna) Power Project, Karnataka- 2x600= 1200 MW (M/s. Udupi (Nagarjuna) Power Corp. Ltd.)
- 72 IPP project Haryana- 2x660= 1320 MW (M/s. Jhajjar Power Ltd.)
- 73 726 MW CCGT being developed by ONGC-Tripura Power Company Ltd. (OTPC) at Palatana, Tripura - (2x250)(2x113.3)= 726 MW
- 74 Salaya TPP, Gujarat- 2x600= 1200 MW (M/s. Essar Power Gujarat Ltd.)
- 75 Tiroda TPP, Maharashtra-5x660=3300 MW (M/s. Adani Power Maharashtra Ltd.)
- 76 Kawai TPP, Rajasthan - 2x660=1320 MW (M/s. Adani Power Rajasthan Ltd.)
- 77 Teesta-VI, Sikkim - 4x125= 500 MW (M/s. Lanco)
- 78 Teesta-III Sikkim- 6x200= 1200 MW (M/s. Teesta Urja Ltd.)
- 79 KSK Mahanadi Power Company Ltd.(U-3 & 4) Janjgir- Champa, Chhattisgarh-2x600=1200 MW (M/s KSK Mahanadi Power Co Ltd.)
- 80 Rajpura TPP in the State of Punjab- 2x700= 1400 MW (M/s. Nabha Power Ltd.)
- 81 Talwandi Sabo power project at Banawala, Punjab.- 3x660=1980 MW (M/s. Talwandi Sabo Power Ltd. (TSPL))
- 82 TPP at Nandgaonpeth, MIDC, Amravati Dist., Maharashtra.- 5x270= 1350 MW (M/s. Indiabulls Power Ltd.)
- 83 TPP at Karachhana, Allahabad, UP- 2x660 = 1320 MW (M/s. Sangam Power Gen Company Ltd.)
- 84 TPP at Bara, Allahabad, UP. -3x660=1980 MW (M/s. Prayagraj Power Gen. Company Ltd.)
- 85 TPP at Surguja, Chhattisgarh- 2x660 = 1320 MW (M/s. IFFCO Chhattisgarh Power Ltd.)
- 86 TPP at Dhenkanal, Orissa-3x350=1050 MW (M/s. GMR Kamalanga Energy Ltd.)
- 87 GMR Chhattisgarh Energy Ltd. Raipur, Chhattisgarh-2x685 MW
- 88 KSK Mahanadi Power Corporation Ltd. (U-2&5) Janjgir Champa, Chhattisgarh-2x600 MW
- 89 KSK Mahanadi Power Corporation Ltd. (U-1&6) Janjgir Champa, Chhattisgarh-2x600 MW
- 90 Thermal Powertech Corporation Ltd. Pynampuram Andhra Pradesh- 2x660 MW
- 91 KVK Neelanchal Power Pvt. Ltd Cuttak, Orissa-3x350 MW
- 92 East-Coast Energy Pvt. Ltd Srikakulam, Andhra Pradesh.-2x660 MW
- 93 Monnet Power Corporation Ltd. Malibrahmani, Orissa-2x525 MW
- 94 Hinduja National Power Corporation Ltd. Vishakhapatnam, Andhra Pradesh-2x520 MW
- 95 Corporate Power Ltd. Chandwa, Jharkhand-4x270 MW
- 96 Lanco Power Ltd. (U-3,4) Pathadi, Chhattisgarh-2x660 MW
- 97 Lalitpur Power Generation Company Ltd. Lalitpur, U.P.-3x660 MW

- 98 Lanco Vidarbha Thermal Power Ltd. Wardha, Maharashtra-2x660 MW
99 Lanco Babandh Power Ltd. Dhenkanal, Orissa-2x660 MW
100 DB Power Ltd. Vadodarha TPP Janjgir – Champa Chattisgarh-2x660 MW
101 Athena Chhattisgarh Power Ltd. Singhitarai TPS Janjgir-Champa, Chattisgarh- 2x600 MW
102 Essar Power Jharkhand Ltd. Tori, Jharkhand- 2x600 MW
103 MB Power (MP) Ltd. Anuppur, Madhya Pradesh-2x600 MW
104 RKM Powergen Pvt. Ltd. Uchpinde TPP Janjgir- Champa, Chattisgarh-4x360 MW
105 IL & FS Tamil Nadu Power Company Ltd. Cuddalore, Tamil Nadu-2x600 MW
106 Meenakshi Energy Pvt. Ltd Thamminapatnam, Andhra Pradesh-Ph-1:2x 150 Ph-II 2x350 MW
107 SKS Power Generation (Chhattisgarh) Ltd. Binj Kote TPP Raigarh, Chhattisgarh-4x300 MW
108 Jindal India Thermal Power Ltd. Angul, Orissa- 2x600 MW
109 NCC Power Projects Nellore AP-2x660 MW
110 Samalkot Power Ltd. Samalkot, Andhra Pradesh-2400 MW
111 Torrent Energy Ltd. Dahej, Gujarat-1200 MW”.

[F. No. 354/78/2010- TRU(Pt.-I)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note.— The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and was last amended *vide* notification No. 47/2012-Customs, dated the 21st August, 2012, published *vide* number G.S.R. 644(E), dated the 21st August, 2012.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1471]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2012/श्रावण 18, 1934

1471]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2012/SHRAVANA 18, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

सं. 69/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1770(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, मैसर्स एस. ए. पी. इंडिया सिस्टम्स, एप्लीकेशन्स एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग प्रा.लि., मुम्बई एवं अन्य के मामले में निम्न सारणी के कालम 3 में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों, निम्न सारणी के कॉलम सं. (2) में यथा उल्लिखित, में न्याय-निर्णयन के लिए शक्तियों और कर्तव्यों को एतद्वारा आयुक्त (न्याय-निर्णयन), न्यू कस्टम हाउस, निकट इंदिरा गांधी, अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, नई दिल्ली को सौंपता है, यथा :—

सारणी

क्र. सं.	कारण बताओ नोटिसों की सं. और तारीख	जारी करने वाले प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	एस/वी/31/2007 एससीएन एस/14-4-30/2010-11 एडीजेएन दिनांक 4-8-2010	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
2	डीआरई/एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-38/2010 दिनांक 4-8-2010	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
3	एयर/कस्टम/50/सीआईसी/49/2011 डीआईआई फनं. एस/IV/31/2007 एस/14-4-74/2009-10 एडीजेएन दिनांक 3-5-2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
4	एस/वी/31/2007 एससीएन एस/14-4-85/2009-10 एडीजेएन दिनांक 16-6-2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
5	एस/14-4-31/2011-12 एडीजेएन डीआरआई/एमजेडयूई/9/2010 दिनांक 10-6-2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई

6	एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-70/2009-10 एडीजेएन दिनांक 28.06.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
7	एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-72/2009-10 एडीजेएन दिनांक 23.06.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
8	एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-82/2009-10 एडीजेएन दिनांक 23.06.2012	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
9	एस/IV/31/2007 एससीएन एस/14-4-91/2009-10 एडीजेएन दिनांक 28.06.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
10	डीआरआई/एमजेडयू/ई/11/2011 एस/14-4-46/2011-12 एडीजेएन दिनांक 21.07.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
11	एस/14-04-124/2011-12 एडीजेएन डीआरआई/फा.सं.151/केओएल/एपीपी/2009/पीटी.1 टीसी दिनांक 17.11.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
12	एसडी/आईएनटी/एआईयू/64/2010 एपी ए एस/14-4-84/2010-11 एडीजेएन दिनांक 04.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
13	एसडी/आईएनटी/एआईयू/29/2011 एपी ए एस/14-4-91/2010-11 एडीजेएन एआईयू/जीईएन-31/2010 एप'सी' (2) दिनांक 09.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
14	एसडी/आईएनटी/एआईयू/60/2011 एपी ए एस/14-4-92/2010-11 एडीजेएन दिनांक 11.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
15	एसडी/आईएनटी/एआईयू/31/2011 एपी सी एआईयू/जीईएन-31/2010 एपी 'सी' (5) एस/14-4-95/2010-11 दिनांक 17.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
16	एसडी/आईएनटी/एआईयू/61/2010 एपी ए एस/14-4-97/2010-11 एडीजेएन दिनांक 04.03.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
17	एसडी/आईएनटी/एआईयू/30/11 एपी 'सी' एस/14-4-10/2011-12 एडीजेएन दिनांक 15.04.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
18	एसडी/आईएनटी/एआईयू/33/11 एपी 'सी' एस/14-4-07/2010-11 एडीजेएन दिनांक	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई

	30.03.11	
19	एसडी/आईएनटी/एआईयू/26/11 एपी 'डी' एस/14-4-02/2011-12 एडीजेएन दिनांक 30.03.11	30.03.2011 की कारण बताओ नोटिस के अनुसार अपर आयुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट को जवाबदेह। दिनांक 13.9.2011 के शुद्धिपत्र के अनुसार सहायक/उप आयुक्त, कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई को जवाब दें।
20	एसडी/आईएनटी/एआईयू/06/11 एपी 'बी' एस/14-4-12/2011-12 एडीजेएन दिनांक 02.05.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
21	एसडी/आईएनटी/एआईयू/28/11 एपी 'डी' एस/14-4-13/2011-12 एडीजेएन दिनांक 03.05.11	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
22	एसडी/आईएनटी/एआईयू/11 एपी 'डी' एस/14-4-25/2011-12 एडीजेएन दिनांक 26.05.11	30.03.2011 की कारण बताओ नोटिस के अनुसार अपर आयुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट को जवाबदेह। दिनांक 13.9.2011 के शुद्धिपत्र के अनुसार सहायक/उप आयुक्त, कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई को जवाब दें।
23	एस/14-4-44/2011-12 एडीजेएन एस डी/आईएनटी/एआईयू/05/2011 एपी 'बी' दिनांक 21.07.2011	उपायुक्त, सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
24	एआईआर/कस्टम/50/सीआईसी/108/2011 एस/14-4-08/2010-11 एडीजेएन एस/IV/31/007 एससीएन (गोदरेज) दिनांक 27.06.2011	आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
25	एआईआर/कस्टम/50/सीआईसी/108/2011 एस/IV/31/007 एससीएन (एमसीजीएम) एस/14-4-51/10-11 एडीजेएन दिनांक 28.06.2011	आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
26	एसडी/आईएनटी/एआईयू/63/2010 एपी 'ए' दिनांक 28.01.2011	अपर आयुक्त, सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई

27	एसडी/आईएनटी/एआईयू/63/2010 एपी 'ए' दिनांक 03.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
28	एसडी/आईएनटी/एआईयू/22/2010 एपी 'डी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
29	एसडी/आईएनटी/एआईयू/59/2010 एपी 'ए' दिनांक 17.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
30	एसडी/आईएनटी/एआईयू/07/2011 एपी 'बी' दिनांक 04.03.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
31	एसडी/आईएनटी/एआईयू/07/2011 एपी 'बी' दिनांक 16.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
32	एसडी/आईएनटी/एआईयू/64/2011 एपी 'बी' दिनांक 16.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
33	एआईयू/जीईएन-31/2010 एडीएमएन दिनांक 23.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
34	एसडी/आईएनटी/एआईयू/46/2011 एपी 'सी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
35	एसडी/आईएनटी/एआईयू/47/2011 एपी 'सी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
36	एसडी/आईएनटी/एआईयू/62/2011 एपी 'सी' दिनांक 05.08.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
37	एसडी/आईएनटी/एआईयू/32/2011 एपी 'सी' दिनांक 19.04.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
38	एसडी/आईएनटी/एआईयू/32/2011 एपी 'सी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
39	एसडी/आईएनटी/एआईयू/65/2011 एपी 'ए' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क कूरियर सेल, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
40	एसडी/आईएनटी/एआईयू/21/2011 एपी 'डी' दिनांक 31.03.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
41	एसडी/आईएनटी/एआईयू/21/2011 एपी 'डी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
42	एसडी/आईएनटी/एआईयू/23/2010 एपी 'डी' दिनांक 21.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई
43	एसडी/आईएनटी/एआईयू/25/2011 एपी 'डी' दिनांक 14.06.2011	उपायुक्त सीमा शुल्क, सी एस आई एयर पोर्ट, मुम्बई



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 1679]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 31, 2012/भाद्र 9, 1934

No. 1679]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 31, 2012/BHADRA 9, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2012

सं. 79/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2012(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1 और सारणी-2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात् :—

“सारणी-1

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	447 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
2.	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	476 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
3.	1511 90 90	अन्य—पॉम ऑयल	462 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
4.	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	481 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
5.	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	1014
6.	1511 90 90	अन्य—पामोलीन	483 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
7.	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	580 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
8.	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	4011
9.	1207 91 00	पोस्त बीज	5435

सारणी-2

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप-शीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	71 या 98	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17-3-2012 की प्रविष्टि संख्या 321 और 323 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	540 प्रति 10 ग्राम
2.	71 या 98	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17-3-2012 की प्रविष्टि संख्या 322 और 324 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	996 प्रति किलोग्राम

[फा. सं. 467/01/2012-सीमा-शुल्क-V पार्ट I]

अभिनव गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 74/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 अगस्त, 2012, जिसे का.आ. 1836(अ), दिनांक 14 अगस्त, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2012

No. 79/2012-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2012(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001, namely :—

In the said notification, for Table-1 and Table-2, the following Tables shall be substituted, namely :—

"TABLE-1

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1511 10 00	Crude Palm Oil	447 (i.e. no change)
2.	1511 90 10	RBD Palm Oil	476 (i.e. no change)
3.	1511 90 90	Others—Palm Oil	462 (i.e. no change)
4.	1511 10 00	Crude Palmolein	481 (i.e. no change)
5.	1511 90 20	RBD Palmolein	1014
6.	1511 90 90	Others—Palmolein	483 (i.e. no change)
7.	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	580 (i.e. no change)
8.	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	4011
9.	1207 91 00	Poppy Seeds	5435

TABLE-2

Sl. No.	Chapter/heading/sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial numbers 321 and 323 of the Notification No. 12/2012-Customs, dated 17-3-2012 is availed	540 per 10 grams
2.	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial numbers 322 and 324 of the Notification No. 12/2012-Customs, dated 17-3-2012 is availed	996 per kilogram

[F. No. 467/01/2012-Cus.-V Pt. I]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

Note :—The principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, *vide* number S.O. 748(E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended *vide* Notification No. 74/2012-Customs (N.T.), dated the 14th August, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1836(E), dated the 14th August, 2012.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1705]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2012/भाद्र 15, 1934

No. 1705]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2012/BHADRA 15, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2012

सं. 80/2012-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 2040(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सं. का.आ. 1851(अ), दिनांक 16 अगस्त, 2012 के जरिए जारी अधिसूचना सं. 75/2012-सीमा-शुल्क (गै. टै.), दिनांक 16 अगस्त, 2012 को अधिकांत करते हुए, ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 7 सितम्बर, 2012 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यात माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है।

अनुसूची-I

क्रम संख्या	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क) (आयातित माल के लिए)	(ख) (निर्यात माल के लिए)
1.	आस्ट्रेलियन डालर	57.60	56.35
2.	बाहरेनी दीनार	152.05	143.95
3.	कनेडियन डालर	57.20	55.90
4.	डेनिश क्रोनर	9.50	9.25
5.	यूरो	70.65	69.05
6.	हांग कांग डालर	7.25	7.15
7.	केन्यन शिल्लिंग	67.75	64.00

(1)	(2)	(3)	
4.	Danish Kroner	9.50	9.25
5.	EURO	70.65	69.05
6.	Hong Kong Dollar	7.25	7.15
7.	Kenya Shilling	67.75	64.00
8.	Kuwait Dinar	203.40	191.90
9.	New Zealand Dollar	44.95	43.75
10.	Norwegian Kroner	9.75	9.45
11.	Pound Sterling	89.35	87.60
12.	Singapore Dollar	45.10	44.20
13.	South African Rand	6.85	6.40
14.	Saudi Arabian Riyal	15.30	14.45
15.	Swedish Kroner	8.40	8.15
16.	Swiss Franc	58.85	57.50
17.	UAE Dirham	15.60	14.75
18.	US Dollar	26.20	55.35

SCHEDULE-II

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	72.00	70.20

[F. No. 468/15/2012-Cus.-V]

ABHINAV GUPTA, Under Secy.

CE 14

Customs Act

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2112]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्तूबर 16, 2014/आश्विन 24, 1936

No. 2112]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2014/ASVINA 24, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2014

सं. 98/2014-सीमा शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 2658(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की का.आ. 2574(अ), दिनांक 1 अक्तूबर, 2014 के जरिए जारी अधिसूचना सं. 96/2014-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 1 अक्तूबर, 2014 को अधिकांत करते हुए, ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 17 अक्तूबर, 2014 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यात माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है :—

अनुसूची-I

क्र.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रु. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
1.	ऑस्ट्रेलियन डालर	54.75	53.45
2.	बाहरेनी दीनार	167.95	158.80

4120 GS/2014

(1)

3.	कनेडियन डालर	55.30	54.05
4.	डेनिश क्रोनर	10.75	10.45
5.	यूरो	79.90	78.00
6.	हांग कांग डालर	8.00	7.85
7.	कुवैती दीनार	220.00	207.55
8.	न्यूजीलैंड डालर	49.80	48.40
9.	नॉर्वेजियन क्रोनर	9.55	9.25
10.	पाउण्ड स्टर्लिंग	99.45	97.25
11.	सिंगापुर डालर	48.95	47.90
12.	साउथ अफ्रीकन रैंड	5.70	5.40
13.	साऊदी अरेबियन रियाल	16.90	15.95
14.	स्वीडिश क्रोनर	8.70	8.45
15.	स्विस फ्रैंक	66.20	64.60
16.	यू. ए. इ. दिरहम	17.25	16.30
17.	यू. एस. डालर	62.05	61.05

अनुसूची- II

क्र. सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रु. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
1.	जापानी येन	58.70	57.30
2.	केन्यन शिल्लिंग	71.25	67.05

[फा. सं. 468 /01/2014 - सीमा शुल्क-V]

सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक (आई सी डी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2014

No. 98 /2014-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2658(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 96/2014-CUSTOMS (N.T.), dated the 1st October, 2014 *vide* number S.O. 2574(E), dated the 1st October, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto into Indian currency or *vice versa* shall, with effect from 17th October, 2014 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods.

SCHEDULE-I

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Australian Dollar	54.75	53.45
2.	Bahrain Dinar	167.95	158.80
3.	Canadian Dollar	55.30	54.05
4.	Danish Kroner	10.75	10.45
5.	EURO	79.90	78.00
6.	Hong Kong Dollar	8.00	7.85
7.	Kuwait Dinar	220.00	207.55
8.	New Zealand Dollar	49.80	48.40
9.	Norwegian Kroner	9.55	9.25
10.	Pound Sterling	99.45	97.25
11.	Singapore Dollar	48.95	47.90
12.	South African Rand	5.70	5.40
13.	Saudi Arabian Riyal	16.90	15.95
14.	Swedish Kroner	8.70	8.45
15.	Swiss Franc	66.20	64.60
16.	UAE Dirham	17.25	16.30
17.	US Dollar	62.05	61.05

SCHEDULE-II

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	58.70	57.30
2.	Kenya Shilling	71.25	67.05

[F. No. 468/01/2014-Cus.V]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2213]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 31, 2012/कार्तिक 9, 1934

No. 2213]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2012/KARTIKA 9, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2012

सं 96/2012-सीमा शुल्क (गै. टै.)

का.आ. 2661(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/२००१-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक ३ अगस्त, २००१ में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी-१ और सारणी-२ के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

"सारणी-१

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य अमरीकी डालर (प्रति मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	कच्चा पॉम ऑयल	447 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
2	1511 90 10	आर बी डी पॉम ऑयल	476 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
3	1511 90 90	अन्य पॉम ऑयल	462 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
4	1511 10 00	कच्चा पामोलीन	481 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
5	1511 90 20	आर बी डी पामोलीन	889
6	1511 90 90	अन्य पामोलीन	483 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
7	1507 10 00	सोयाबीन का कच्चा तेल	580 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)
8	7404 00 22	पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड)	4096
9	1207 91 00	पोस्ट बीज	5346

सारणी-२

क्रम. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण	टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	७१ या ९८	स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या १२/२०१२-सीमा शुल्क, दिनांक १७.०३.२०१२ की प्रविष्टि संख्या ३२१ और ३२३ के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	556 प्रति 10 ग्राम
2	७१ या ९८	रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या १२/२०१२-सीमा शुल्क, दिनांक १७.०३.२०१२ की प्रविष्टि संख्या ३२२ और ३२४ के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो	1039 प्रति किलोग्राम

[फा. सं. 467/01/2012-सीमा शुल्क-V;Pt. I]

एम. सतीश कुमार रेड्डी, डायरेक्टर

टिप्पणः—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-३, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. ३६/२००१-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक ३ अगस्त, २००१, का. आ. ७४८ (अ), दिनांक ३ अगस्त, २००१ के तहत प्रकाशित की गई थी तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. ९४/२०१२-सीमा शुल्क दिनांक १५ अक्टूबर, २०१२, जिसे का. आ. २४९९ (अ) दिनांक १५ अक्टूबर, २०१२ के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-३, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Excise and Customs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2012

No. 96/2012-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2661(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, namely:-

In the said notification, for TABLE-1 and TABLE-2, the following Tables shall be substituted namely:-

"TABLE-1

S. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value US \$ (Per Metric Tonne)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1511 10 00	Crude Palm Oil	447 (i.e. no change)
2	1511 90 10	RBD Palm Oil	476 (i.e. no change)
3	1511 90 90	Others - Palm Oil	462 (i.e. no change)
4	1511 10 00	Crude Palmolein	481 (i.e. no change)
5	1511 90 20	RBD Palmolein	889
6	1511 90 90	Others - Palmolein	483 (i.e. no change)
7	1507 10 00	Crude Soyabean Oil	580 (i.e. no change)
8	7404 00 22	Brass Scrap (all grades)	4096
9	1207 91 00	Poppy seeds	5346

TABLE-2

S. No.	Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item	Description of goods	Tariff value (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	71 or 98	Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 321 and 323 of the Notification No. 12/2012-Customs dated 17.03.2012 is availed	556 per 10 grams
2	71 or 98	Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 322 and 324 of the Notification No. 12/2012-Customs dated 17.03.2012 is availed	1039 per kilogram

[F. No. 467/01/2012-Cus. V-Pt. I]

M. SATISH KUMAR REDDY, Director

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 94/2012-Customs (N.T.), dated the 15th October, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O 2499 (E) dated, the 15th October, 2012.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2258]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 5, 2014/कार्तिक 14, 1936

No. 2258]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 5, 2014/KARTIKA 14, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं. 101/2014-सीमा शुल्क (गै. टै.)

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 2830(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की का.आ. 2658(अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के जरिए जारी अधिसूचना सं. 98/2014-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 को अधिक्रांत करते हुए, ऐसे प्रतिस्थापन से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 6

नवम्बर, 2014 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यात माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है। -

अनुसूची-I

क्र.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रु. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर	
		(3)	
		(क)	(ख)
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
1.	आस्ट्रेलियन डालर	54.50	53.00
2.	बाहरेनी दीनार	167.55	158.40
3.	कनेडियन डालर	54.55	53.30
4.	डेनिशक्रोनर	10.50	10.20
5.	यूरो	78.00	76.15
6.	हांगकांग डालर	8.00	7.85
7.	कुवैतीदीनार	218.05	205.65
8.	न्यूजीलैंड डालर	48.75	47.50
9.	नॉर्वेजियन क्रोनर	9.10	8.85
10.	पाउण्ड स्टर्लिंग	99.50	97.30
11.	सिंगापुर डालर	48.20	47.15
12.	साउथ अफ्रीकन रैंड	5.70	5.40
13.	साऊदी अरेबियन रियाल	16.85	15.90
14.	स्वीडिश क्रोनर	8.45	8.20
15.	स्विस फ्रैंक	64.85	63.30
16.	यू. ए. इ. दिरहम	17.20	16.25
17.	यू. एस. डालर	61.90	60.90

अनुसूची-II

क्र.सं.	विदेशी मुद्रा	भारतीय रु. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर	
(1)	(2)	(3)	
		(क)	(ख)
		(आयातित माल के लिए)	(निर्यात माल के लिए)
1.	जापानी येन	54.65	53.40
2.	केन्यन शिल्लिंग	70.50	66.55

[फा. सं. 468 /01/2014 – सीमा शुल्क-V]

सत्यजीत मोहन्ती, निदेशक (आई सी डी)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)
NOTIFICATION

NO. 101/2014-CUSTOMS (N.T.)

New Delhi, the 5th November, 2014

S.O. 2830(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in super session of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.98/2014-CUSTOMS (N.T.), dated the 16th October, 2014 vide number S.O. 2658(E), dated the 16th October, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto into Indian currency or *vice versa* shall, with effect from 6th November, 2014 be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods.

SCHEDULE-I

S.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Australian Dollar	54.50	53.00
2.	Bahrain Dinar	167.55	158.40
3.	Canadian Dollar	54.55	53.30
4.	Danish Kroner	10.50	10.20
5.	EURO	78.00	76.15

6.	Hong Kong Dollar	8.00	7.85
7.	Kuwait Dinar	218.05	205.65
8.	New Zealand Dollar	48.75	47.50
9.	Norwegian Kroner	9.10	8.85
10.	Pound Sterling	99.50	97.30
11.	Singapore Dollar	48.20	47.15
12.	South African Rand	5.70	5.40
13.	Saudi Arabian Riyal	16.85	15.90
14.	Swedish Kroner	8.45	8.20
15.	Swiss Franc	64.85	63.30
16.	UAE Dirham	17.20	16.25
17.	US Dollar	61.90	60.90

SCHEDULE-II

S.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
(1)	(2)	(3)	
		(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	54.65	53.40
2.	Kenya Shilling	70.50	66.55

[F. No. 468/01/2014-Cus.V]

SATYAJIT MOHANTY, Director (ICD)